खंड

3

विकसित और विकासशील देशों में प्रणालियाँ

इकाई 6
पारिस्थितिकीय अभिगम 45

इकाई 7
विकसित देशों की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियाँ 48

इकाई 8
विकासशील देशों की राजनैतिक तथा प्रशासनिक प्रणालियाँ 63

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 6 : परिस्थितिकीय अभिगम

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 पारिस्थितिकीय अभिगम

6.3 सारांश

6.4 संदर्भ

6.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

- पारिस्थितिकीय अभिगम के अर्थ पर चर्चा कर सकेंगे;
- इस ओर वर्णन कर सकेंगे कि किस प्रकार एक प्रशासनिक व्यवस्था सामाजिक तंत्रों पर प्रभाव डालती है, और इनके क्रियाकलापों द्वारा प्रभावित होकर स्वयं परिवर्तित भी होती रहती है।

6.1 प्रस्तावना

नीति विज्ञानों में 'पारिस्थितिकी' (Ecology) शब्द अब सामान्य रूप से प्रचलित हो चला है, तथापि इस शब्द का प्रयोग प्रमुख रूप से प्राणी–विज्ञान में हुआ है, जहाँ कि ज्ञान की यह शाखा जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अन्तर्निर्भरता का बोध कराती है। 1947 में लोक प्रशासन के प्रसिद्ध विद्वान, जॉन एम. गॉस (John M. Gaus) ने अधिकारितंत्र एवं उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक निर्भरता के अध्ययन पर बल दिया था। ऐसे कई विद्वान है, जैसे रॉबर्ट डॉल, रॉस्को मार्टिन, (Robert Dahl, Roscoe Martin) आदि, जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रशासनिक विज्ञान के विकास के लिए पर्यावरणि ाक घटकों का अध्ययन करना आवश्यक है।

इस इकाई में हम विभिन्न विद्वानों द्वारा इस अभिगम को तुलनात्मक लोक प्रशासन के संदर्भ में किस प्रकार उपयोग किया गया है, के बारे में चर्चा करेंगे।

6.2 पारिस्थितिकीय अभिगम

1947 में लोक प्रशासन के प्रसिद्ध विद्वान, जॉन एम. गॉस (John M. Gaus) ने अधि ाकारितंत्र एवं उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक निर्भरता के अध्ययन पर बल दिया था। उन्होंने सरकार के कार्यों को प्रभावित करने वाले कई घटकों का उल्लेख किया, जैसे, जनता, स्थान, भौतिक प्रविधि, सामाजिक प्रविधि, जन–आंकाक्षाएं, आपात स्थिति, एवं व्यक्तित्व। यह विभिन्न घटक पारस्परिक रूप से सम्बन्धित हैं, किन्तु गॉस ने यह विस्तार–पूर्वक स्पष्ट नहीं किया कि इन तत्त्वों का लोक प्रशासन से क्या सम्बन्ध हैं। 1947 में ही रॉबर्ट डॉल (Robert Dahl) ने लोक प्रशासन साहित्य की सांस्कृतिक रूप से सीमित प्रकृति की आलोचना की तथा इस बात पर बल दिया कि प्रशासनिक विज्ञान के विकास के लिए उन पर्यावरणिक घटकों का अध्ययन करना आवश्यक है, जो प्रशासनिक संरचनाओं तथा व्यवहार को प्रभावित करते हैं। डॉल ने यह युक्ति प्रस्तुत की कि लोक प्रशासन राजनीतिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक पर्यावरणों के प्रभावों से नहीं बच सकता।

वास्तव में, डॉल द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त अमेरिकी विद्वानों की उदीयमान राष्ट्रों की प्रशासनिक प्रणालियों के अध्ययन में उत्पन्न रुचि को प्रतिबिम्बित कर रहे थे। वास्तविकता यह थी, कि नवोदित राष्ट्रों के प्रशासनिक तंत्रों में विद्यमान विविधता ने विद्वानों को इस भिन्नता के कारणों के पहलू पर विचार करने के लिये विवश कर दिया था। उन्होंने पाया कि प्रशासनिक भिन्नताओं का मूल कारण प्रशासन के पर्यावरण की भिन्नता थी। लोक प्रशासन की विद्या के विकास के इस चरण के बारे में टिप्पणी करते हुए एड्गर शोर ने इस मत को रेखांकित किया था कि पाश्चात्येत्तर राष्ट्रों के प्रशासनिक अथवा आधुनिकीकरण के किसी भी अध्ययन में पर्यावरिणक घटकों के महत्त्व एवं प्रासंगिकता की व्याख्या होना अत्यावश्यक है। इसी काल में संयुक्त राज्य अमेरिकी तकनीकी सहायता कार्यक्रम अपने विकास के प्रारम्भिक दिनों में था। अमेरिकी विद्वानों ने इस बात को भली–भांति समझ लिया था कि नवोदित राष्ट्रों में तकनीकी सहायता कार्यक्रम तभी सफल हो सकते हैं, यदि इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन विभिन्न राष्ट्रों की विशिष्ट पारिस्थितिकी को ध्यान में रख कर किया जाय।

रॉस्को मार्टिन जैसे विद्वान ने यह मत व्यक्त किया कि पाश्चात्येत्तर राष्ट्रों में पाश्चात्य प्रशासनिक संरचनाओं का स्थानान्तरण केवल कुछ सीमा तक ही हो सकता है, तथा यह सीमा विभिन्न राष्ट्रों के पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती है।

तुलनात्मक लोक प्रशासन में पारिस्थितिकी सम्बन्धी अभिगम की मूल प्रस्थापना यह है कि लोक प्रशासन को समाज में कतिपय आधारभूत संस्थानों में से ही एक समझा जाना चाहिये। इस प्रकार, प्रशासन की संरचना और प्रकार्य को समझने के लिए प्रशासन का अध्ययन दूसरे सामाजिक संस्थानों के साथ इसके परस्पर सम्बन्धों के संदर्भ में किया जाना चाहिये। तंत्र अभिगम के संदर्भ में, प्रशासनिक तंत्र समाज में राजनीतिक, आर्थिक, और सामाजिक उपतंत्र के साथ निरन्तर परस्पर सम्बन्ध रखता है अर्थात् इन तंत्रों से प्रभावित होता है, और साथ ही इनको प्रभावित भी करता है। अतः एक प्रशासनिक व्यवस्था इन तंत्रों पर प्रभाव डालती है, और इनके क्रियाकलापों द्वारा प्रभावित होकर स्वयं परिवर्तित भी होती रहती है।

तुलनात्मक लोक प्रशासन में पारिस्थितिकीय अभिगम के विकास में सर्वाधिक योगदान फ्रेंड रिग्ज़ का रहा है। रिग्ज़ का मत है कि केवल वही अध्ययन वास्तव में तुलनात्मक हैं, जो अनुभवमूलक (Empirical), सिद्धान्त–रचना उन्मुख (Normative), और पारिस्थितिक (Ecological) हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, प्रशासनिक प्रक्रिया को एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है, जिसका कि एक पर्यावरण है, और जो इस पर्यावरण से निरन्तर अन्तर–क्रिया करती है। यह प्रस्थापना इस विचार के अनुकूल है कि समाज एक ऐसा तन्त्र है कि जिसका प्रशासनिक संस्थान उसके एक उपतन्त्र की भांति होता है। रिग्ज़ की रुचि मुख्यतः प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, और आर्थिक तन्त्रों के मध्य परस्पर क्रियाओं के विश्लेषण पर संकेन्द्रित है। यह दृष्टिकोण रिग्ज़ की आधारभूत पारिस्थितिकीय उन्मुखता को इंगित करता है। इस परिप्रेक्ष्य के पीछे रिग्ज़ की यह धारणा विद्यमान है कि किसी देश में लोक प्रशासन की प्रकृति को, उस देश के सामाजिक विन्यासों को भली–भांति समझे बिना, विश्लेषित नहीं किया जा सकता।

अपनी पुस्तक, ''ईकॉलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन'' (Ecology of Public Administration) में रिग्ज़ ने लोक प्रशासन तथा उसके पर्यावरण के बीच गत्यात्मक सम्बन्धों का तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य से अध्ययन किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, समकालीन फिलिपीनंस, एवं थाई देश का अध्ययन उन्होंने क्रमशः ''रिफैक्टेड,'' ''फ्यूज्ड़,'' तथा ''प्रिज्मैटिक समाजों के आदर्श रूप प्रतिमानों की सहायता से किया था। इस अध्ययन में उन्होंने पर्यावरण के केवल सामाजिक, आर्थिक, संचार, तथा

राजनीनिक अवयवों को ही चुना तथा मनोवैज्ञानिक अवयवों को सम्मिलित नहीं किया। तत्पश्चात्, एक अन्य प्रबन्ध में उन्होंने भौगोलिक पारिस्थितिकी, समय, जनसांख्यिकी, राष्ट्रीय मनोविज्ञान, तथा सामाजिक प्रविधि के आयामों का अध्ययन विकास की प्रक्रिया के सन्दर्भ में किया है। यद्यपि रिग्ज़ का विश्लेषण पर्याप्त रूप से गहन है, किन्तु उनके द्वारा प्रतिपादित विभिन्न वैचारिक श्रोणियों एवं प्रत्ययों का व्यावहारिक शोध किया जाना अभी शेष है।

गतिविधि

पारिस्थितिकीय अभिगम के संबन्ध में एक केस अध्ययन बताइए।

6.3 सारांश

नीति विज्ञानों में 'पारिस्थितिकी' (ईकॉलॉजी) शब्द अब सामान्य रूप से प्रचलित हो चला है। 1947 में लोक प्रशासन के प्रसिद्ध विद्वान, जॉन एम. गॉस ने अधिकारितंत्र एवं उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक निर्भरता के अध्ययन पर बल दिया था। ऐसे कई विद्वान है, जैसे रॉबर्ट डॉल, रॉस्को मार्टिन, एड्गर शोर आदि, जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रशासनिक विज्ञान के विकास के लिए पर्यावरणिक घटकों का अध्ययन करना आवश्यक है। 1947 में ही रॉबर्ट डॉल ने इस बात पर बल दिया कि प्रशासनिक विज्ञान के विकास के लिए उन पर्यावरणिक घटकों का अध्ययन करना आवश्यक है, जो प्रशासनिक संरचनाओं तथा व्यवहार को प्रभावित करते हैं। एड्गर शोर ने इस मत को रेखांकित किया था कि पाश्चात्येत्तर राष्ट्रों के प्रशासनिक अथवा आधुनिकीकरण के किसी भी अध्ययन में पर्यावरिणक घटकों के महत्त्व एवं प्रासंगिकता की व्याख्या होना अत्यावश्यक है। प्रशासन की संरचना और प्रकार्य को समझने के लिए प्रशासन का अध्ययन दूसरे सामाजिक संस्थानों के साथ इसके परस्पर सम्बन्धों के संदर्भ में किया जाना चाहिये। तंत्र अभिगम के संदर्भ में, प्रशासनिक तंत्र समाज में राजनीतिक, आर्थिक, और सामाजिक उपतंत्र के साथ निरन्तर परस्पर सम्बन्ध रखता है, अर्थात् इन तंत्रों से प्रभावित होता है, और साथ ही उनको प्रभावित भी करता है। है। रिग्ज़ का मत है कि केवल वही अध्ययन वास्तव में तुलनात्मक हैं, जो अनुभवमूलक, सिद्धान्त–रचना उन्मुख, और पारिस्थितिक हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, प्रशासनिक प्रक्रिया को एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है, जिसका कि एक पर्यावरण है, और जो इस पर्यावरण से निरन्तर अन्तर–क्रिया करती है।

6.4 संदर्भ

Arora, Ramesh K. 2021. Comparative Public Administration: An Ecological Perspective. New Delhi: New Age International.

Heady, Ferrel. 1995. Public Administration: A Comparative Perspective. New York. Marcel Dekker.

Martin Roscoe C., 1965, Public Administration and Democracy: Essays Honoring Paul H. Appleby, Ed. Syracuse: Syracuse University Press. Published online by Cambridge University Press: 01 August 2014

Riggs, Fred. 1964. Administration in Developing Countries: Theory of Prismatic Society. Boston: Houghton Mifflin.

Riggs, Fred. 1961. The Ecology of Public Administration. Bombay: Asia.

Sahni, Pradeep and E. Vayunandan. 2009. Administrative Theory. New Delhi: Prentice-Hall.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

इकाई 7 : विकसित देशों की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियाँ

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियाँ

7.3 इंग्लैंड की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियाँ

7.4 रूस की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियाँ

7.5 आस्ट्रेलिया की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियाँ

7.6 सारांश

7.7 संदर्भ

7.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने से आपः

- इंग्लैण्ड में राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियों का वर्णन कर सकेंगे;
- रूस में राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियों की चर्चा कर सकेंगे;
- आस्ट्रेलिया में राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियों के संबंध में विचार विमर्श कर सकेंगे;
- फ्रांस में राजनैतिक तथा प्रशासनिक प्रणालियों का विवरण कर सकेंगे।

7.1 प्रस्तावना

इस इकाई में संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैण्ड, रूस, तथा आस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियों का वर्णन किया जायेगा। ऊपर दिए गए देशों की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियों की व्याख्या करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि विकसित देश की अवधारणा क्या है।

विकसित देश किसे कहते हैं?

आर्थिक, औद्योगिक, तथा प्रौद्योगिक दृष्टि से आगे रहने वाले देश विकसित देश कहे जाते हैं। इन देशों के आर्थिक मानक, जैसे सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) राष्ट्रीय घरेलू उत्पादन (जीएनपी) तथा प्रति व्यक्ति आय उच्च आर्थिक स्तर के द्योतक होते हैं। विकसित देशों के निवासियों का जीवन स्तर बहुत ऊँचा होता है तथा उनमें मानव विकास उच्च स्तर का होता है। उच्च स्तरीय जीवनशैली को मानव विकास दर (एचडीआई) से मापा जाता है। मानव विकास दर एक मिश्रित अनुक्रम/दर हैं, जिसमें तीन घटक आते हैंः आयु/जीवनकाल, शिक्षा, तथा प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक तथा सामाजिक मानदंडों के बीच सम्बंधों को समझने में यह सहायता करता है। जिन देशों की आय अच्छी होती है, वे शिक्षा व स्वास्थ्य पर अधिक खर्च कर सकते हैं, जो बेहतर मानव विकास के प्रमुख आधार होते हैं।

आइए, सर्वप्रथम हम संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियों के बारे में वर्णन करें।

7.2 संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियाँ

संयुक्त राज्य अमेरिका 4 जुलाई 1776 में ब्रिटेन से आजाद हुआ था। 1788 में पेरिस की संधि के बाद इसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली। अमेरिका में 50 राज्य हैं तथा कोलम्बिया जिला भी शामिल है। वांशिगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है तथा व्हाइट हाउस सत्ता का केंद्र है।

आइए, अब अमेरिका की राजनैतिक प्रणाली पर प्रकाश डालें:

1. राजनैतिक प्रणाली

संयुक्त राज्य अमेरिका एक उदार लोकतांत्रिक संवैधानिक गणतंत्र है। संघीय गणतंत्र अमेरिका में राष्ट्रपति में प्रभुत्वशाली सरकार है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बहुत लम्बी चलती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्रशासनिक चुनाव तथा दलीय चुनाव होते हैं। इसके बाद सम्मेलनों का दौर प्रारंभ हो जाता है। राजनैतिक दल अपने प्रत्याशियों का चुनाव करते है। इसके बाद राष्ट्रव्यापी प्रचार का कार्य आरंभ हो जाता है। जगह–जगह बहसें होती है, जिनके माध्यम से प्रत्याशी व उनके समर्थक अपने दृष्टिकोण, कार्य योजनाओं आदि का खुलासा करते हैं कि यदि वे सत्ता में आए तो इन योजनाओं का उत्थान करेंगे।

निर्वाचक मंडल मतदान द्वारा राष्ट्रपति चुनते हैं। बहुमत प्राप्त प्रत्याशी को विजेता घोषित किया जाता है। यदि कोई भी प्रत्याशी बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता तो 'हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स'(House of Representatives) (प्रतिनिधि सभा) राष्ट्रपति का चयन करते हैं तथा सीनेट उपराष्ट्रपति का चयन करती है।

अब प्रशासनिक प्रणाली पर विचार विमर्श किया जायेगा:

2. प्रशासनिक प्रणाली

- **विधायिका**

संयुक्त राज्य अमेरिका में विधायी शक्तियों वाले निकाय को 'कांग्रेस' कहा जाता है। इसमें दो सदन होते हैं–सीनेट (Senate) तथा प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स)। इनमें, जो शक्तियाँ निहित हैं, वे इस प्रकार की हैं– कर निर्धारण एवं वसूली, अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य संबंधी मामले, कानून–निर्माण, जल, थल, व वायु सेनाओं का गठन व प्रबंधन; युद्ध की घोषणा आदि। विद्रोह को दबाने तथा आक्रमण का जवाब देने के लिए यह सेना को बुला सकती है।

प्रतिनिधि सभा अथवा निम्न सदन जनसंख्या के आधार पर हर राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सभापति को स्पीकर कहा जाता है, तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। इस सदन को सभी विधेयकों को लाने का तथा महाअभियोग लगाने का अधिकार भी प्राप्त है।

संसद के दूसरे सदन को सीनेट कहा जाता है। यह संसद का उच्च सदन है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे कुछ विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो प्रतिनिधि सभा को प्राप्त नहीं हैं। अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पीठाधीन अधिकारी होता है। उसकी अनुपस्थिति में उसके अधिकारों का उपयोग एक अस्थाई राष्ट्रपति करता है जिसे या तो सीनेट द्वारा चुना जाता है, या राष्ट्रपति द्वारा अस्थाई रूप से मनोनीत किया जाता है।

सीनेट का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति द्वारा की गई इस तरह की नियुक्तियों को सीनेट बहुमत से स्वीकृति प्रदान करती है या नहीं करती। सीनेट सभी प्रकार के महाभियोगों पर फैसला देने का अधिकार रखती है।

- **कार्यपालिका**

कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहत करता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है, वह संघीय सरकार का नेता होता है, तथा अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं का मुख्य सेनापति होता है। राष्ट्रपति को 4 वर्षों के लिए चुना जाता है तथा वह दो से अधिक बार इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता है।

राष्ट्रपति संघियों का स्वरूप तय करता है, राजदूतों का मनोनयन व नियुक्ति करता है, तथा मंत्रियों, राजदूतों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की सलाह से करता है।

उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद आता है। वह सीनेट का पीठाधीन अधिकारी होता है। उसे सीनेट में अनिर्णय की स्थिति में निर्णयात्मक मत देने का अधिकार होता है।

इनका चुनाव 4 वर्षों के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति के मृत्यु होने से, या त्याग पत्र देने से, या राष्ट्रपति की योग्यता खो देने से जब वैधानिक ढंग से पद रिक्त हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जिम्मेदारियाँ पूरी करता है।

- **न्यायपालिका**

उच्च न्यायालय में सभी न्यायिक शक्तियाँ निहित होती हैं। इसके नीचे अनेक स्तरीय संघीय न्यायालय होते हैं, जैसे संयुक्त राज्य न्यायालय, संयुक्त राज्य विशेष न्यायालय, संयुक्त राज्य न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है। इसमे कुल 9 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 8 सहयोगी न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं तथा सीनेट उन्हें मान्यता देती है। सभी न्यायाधीश अपने पद पर मृत्यु तक, अथवा अवकाश ग्रहण करने तक, अथवा हटाये जाने तक बने रहते हैं। न्यायालय कानूनों की व्याख्या करते हैं, संवैधानिक वैधता के मामलों पर फैसले सुनाते हैं, संघीय कानूनों से विरोधाभासों का निपटारा करते हैं।

आइए अब ब्रिटेन की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियों पर प्रकाश डालें।

7.3 इंग्लैंण्ड की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियाँ

इंग्लैंण्ड, यूनाइटेड किंगडम (यू.के–U.K) का भाग होने के कारण, यू.के. के कानूनों तथा प्रशासन द्वारा शासित हैं। इंग्लैंण्ड, संघीय अधिनियम की संधि के आधार पर यूनाइटेड किंगडम में 1 मई 1707 को सम्मिलित हुआ। पूरा देश काउंटियों[1] में बंटा है, जो क्षेत्रीय खंडों में विभाजित हैं। इनमें 27 टू टायर काउंटियाँ[2] हैं, 32 लंदन नगर हैं, एक लंदन महानगर या ग्रेट लंदन है, 36 महानगरीय जिले हैं, और 56 एकीकृत अधिकरण हैं[3]।

[1] ऐसे क्षेत्र जिनकी स्वयं की स्थानीय सरकार होती हैं।

[2] यह ऐसे नगर होते हैं, जहाँ दो स्तरीय (टू टायर) स्थानीय सरकारें होती हैं। यहाँ एक ओर नगरिय परिषदें होते हैं, जो सारे नगर के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरी ओर नगर, शहर, और जिले होते हैं, जिन्हें नगरों के उपखंडों का उत्तरदायित्व होता है।

[3] एकीकृत अधिकरण ऐसे अधिकरण होते हैं जिसके अंतर्गत नगरिय परिषदें और जिले परिषदें होती हैं, जो विभिन्न सेवाओं को देखतीं हैं।

लंदन यू.के. का सत्ता केंद्र व राजधानी है तथा इंग्लैंण्ड की भी राजधानी है। यू.के. का संविधान लिखित नहीं है, अतः देश के कानून संसदीय अधिनियमों, न्यायालयों के फैसलों, तथा प्रथाओं के आधार पर काम करते हैं। इंग्लैंड की राजनैतिक प्रणाली संवैधानिक राजतंत्र व संसदीय व्यवस्था पर आधारित है।

1. राजनैतिक प्रणाली

इंग्लैंड की राजनैतिक प्रणाली संवैधानिक राजशाही व संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। एक वार्डों का समूह एक चुनाव क्षेत्र बनता है, जहाँ संसदीय चुनाव होते हैं। संसदीय चुनाव लोकतांत्रिक पर संवैधानिक राजशाही पर आधारित होते हैं।

ब्रिटैन में 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट'[4] (First–Past–The–Post–FPTP) के सिद्धांत पर चुनाव प्रणाली कार्य करती है, जिसके अनुसार बहुमत प्राप्त प्रत्याशी को विजेता घोषित किया जाता है। आम चुनाव 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' के आधार पर संपन्न होते हैं। चुनाव के इस स्वरूप से बड़े राजनैतिक दलों को फायदा होता है तथा सरकारों को स्थायित्व प्राप्त होता है। हालांकि इससे छोटी–छोटी पार्टियों नहीं पनप पातीं परन्तु मजबूत राजनेताओं के बीच एकता बनी रहती है।

2011 में हुए जनमत संग्रह से यह संदेश मिलता है कि ब्रिटेन के मतदाता इस प्रकार की मतदान प्रणाली को समानुपालिक प्रतिनिधित्व की तुलना में अधिक पसंद करते हैं।

इंग्लैंण्ड के प्रमुख राजनैतिक दल हैं–लेबर पार्टी, कंजरवेटिव पार्टी, व लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (Labour Party, Conservative Party and Liberal– Democratic Party)। लेबर पार्टी का गठन 1997 में हुआ था, इसे डेमोक्रेटिक सोश्लिष्ट पार्टी भी कहा जाता है। इसकी विचारधारा वामपंथी है। कंजरवेटिव पार्टी दक्षिणपंथी है, जबकि लिबरल डैमोक्रेट्स विचारधारा बीच की होती है, वे जनता को केंद्र में रखकर राजनीति करते हैं।

बेरिंगटन (Berrington, 2003) ने कहा था कि राजनैतिक दल तीन महत्वपूर्ण कार्य करते हैंः वे मौजूदा समस्याओं को केंद्र में रखते हुए यह तय करते हैं कि कौन से राजनैतिक तर्क प्रस्तुत किये जाएं तथा कौन से विषय उठाये जाएं। सरकार चलाने वाले व्यक्तियों को चुनने में भागीदारी रखते हैं। मतदाताओं का सहयोग करते हैं कि वे किस प्रकार प्रत्याशियों का चुनाव करें तथा सरकारों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रयास करते हैं।

2. प्रशासनिक प्रणाली

• विधायिका

ब्रिटेन की संसद विधायी शक्तियों का केंद्र होती है। इसमें दो सदन होते हैं– 'हाउस ऑफ कॉमन्स' तथा 'हाउस ऑफ लार्डस' (House of Commons and House of Lords)। संसदीय अधिनियम 2011 के अनुसार हर पाँच वर्षों में संसद का चुनाव अनिवार्य है। प्रधानमंत्री चुनाव की तिथि में 2 महीने तक का परिवर्तन कर सकते हैं। संसद के कार्यों में–कानून बनाना, सरकार के खर्चों को मान्यता प्रदान करना, कर लगाना, तथा संसदीय प्रभुसत्ता की सुरक्षा करना आदि सम्मिलित है।

---

[4] 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' मतदान प्रणाली के अनुसार "चुनाव क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है। भारत में लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए यही विधि अपनाई जाती है। जबकि एफपीटीपी सरल है, इसमें वास्तविक प्रतिनिधित्व वाला जनादेश न मिल पाने के बावजूद, आधे से कम मत प्राप्त करने के बावजूद प्रत्याशी तो विजयी घोषित किया जा सकता है।

हाउस ऑफ कॉमन्स संसद का प्रमुख सदन है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सदन की बैठकों की अध्यक्षता 'स्पीकर' (Speaker) करता है। 'हाउस ऑफ कॉमन्स' कर निर्धारण, विभागों व सेवाओं के बजट को तय करना, सरकार के नीतियों तथा कार्यों की समीक्षा करना, विधेयक तैयार करना, कानून बनाना आदि कार्य करता है।

'हाउस ऑफ लार्डस' संसद का दूसरा सदन है जिसका अपना अध्यक्ष होता है। इसके सदस्यों में आजीवन सदस्य, आनुवांशिक सदस्य, तथा 26 अध्यात्म प्रमुख (यॉर्क तथा केंटरबर्ग के आर्क बिशप (Archibishops of Canterbury and York); लंदन, दुर्हम, तथा विंचैस्टर (The Bishops of London, Durham an Winchester and 21 other Bishops of the Church of England) के बिशप; व 21 इंग्लैंण्ड के अन्य गिरजा घरों के बिशप) होते हैं।

हाउस ऑफ लार्डस की भूमिका संसद में विधि–निर्माण की प्रक्रिया में होती है, जहाँ ये विधेयकों की जाँच करता है, उनमें संशोधन करता हैए औंर अनुमोदन करता है।

- **कार्यपालिका**

  शाही क्राउन तथा प्रधानमंत्री में पूरे राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं। देश का मुख्या शाही क्राउन अर्थात् महाराजा होता है। वे प्रायः औपचारिक, उत्सवीय, तथा गैर–राजनैतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यें संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किये गये कानूनों को मान्यता प्रदान करते हैं, प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, और सम्मान तथा पदक प्रदान करते हैं। राजा प्रधानमंत्री की सिफाारिशों द्वारा इन सभी कार्यों को स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्य के प्रमुख द्वारा की जाती है। महाराजा की तुलना में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ व्यापक है, जैसे आगामी चुनाव की तिथि निर्धारित करना, विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करना, संधियों व समझौते करना, संकट के समय फैसले लेना, युद्ध की घोषणा करना, तथा क्षमा प्रदान करना, आदि। कार्यकारी शक्तियाँ संसदीय अधिनियमों अथवा समान्य विधियों से प्राप्त की जाती है।

  प्रधानमंत्री के अधीन कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिनकी नियुक्ति तथा पदों से हटाने का दायित्व महाराजा का होता है, जो प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं। कैबिनेट मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है।

- **न्यायपालिका**

  देश में न्याय का सर्वोच्य संस्थान सर्वोच्च न्यायालय होता है। यद्यपि एक ओर इंग्लैंण्ड और वेल्स तथा दूसरी ओर स्कॉटलैंण्ड तथा उत्तरी आयरलैंण्ड में अलग–अलग न्याय प्रणालियाँ हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपील संबंधी सारे मामलों की अंतिम सुनवाई करती है (स्कॉटलैण्ड में आपराधिक मामलों की सुनवाई को छोड़कर)। राज्य प्रमुख वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।

  न्यायपालिका मौलक अधिकारों का संरक्षण करती है। देश में कानूनी व्यवस्था बनाये रखने के दायित्व का निर्वहन करती है, विवादों की सुनवाई करती है,तथा नागरिक एवं आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रभावी प्रबंधन का निश्चयन करती है।

अब हम रूस की राजनैतिक तथा प्रशासनिक प्रणाली पर विवरण करेंगे।

7.4 रूस की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियाँ

12 जून 1992 को रूस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद स्वतंत्र देश के रूप में रूस का अस्तित्व सामने आया। रूस एक

गणतांत्रिक राज्य है, इसका अपना राष्ट्रीय ध्वज है तथा राष्ट्रगीत है। रूसी महासंघ में 85 संघीय विषय सम्मिलत हैं, जिनकी व्यवस्था संविधान के 65 अनुच्छेद में की गयी है। 85 संघीय विषयों को 22 गणराज्यों में, 9 क्राई[5] में, 46 ओबलास्टों[6] में, 3 संघीय महानगरों में, 1 स्वायत्तशासी ओबलास्ट में, तथा 4 स्वायत्तशासी ओक्रुग[7] सम्मिलित है। राजधानी नगर मास्को रूस की सत्ता का केंद्र है।

1. राजनैतिक प्रणाली

रूसी महासंघ में अर्धराष्ट्रपतीय सरकार होती है, जिसमें सत्ता राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री दोनों के बीच बंटी हुई होती है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा रूस की जनता करती है। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को जीतने के लिए 50ः से कम से कम एक मत अधिक प्राप्त करना आवश्यक है। यदि किसी भी प्रत्याशी को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है, तो दो सप्ताह के भीतर दोबारा मतदान कराया जाता है, और उसमें जीतने वाले प्रत्याशी को राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है।

ऐसा माना जाता है कि रूस के राजनैतिक दलों का उदय पंथ व्यक्तित्व (किसी विशेष व्यक्ति के प्रति गहन भक्ति) के इर्द–गिर्द हुआ है। रूस के संविधान का अनुच्छेद 13 ने राजनैतिक विविधता, बहु राजनैतिक दल प्रणाली, तथा वैचारिक विविधता को गारंटी दी है। 1999 में पुतिन के राष्ट्रपति काल के दौरान बहुदलीय प्रणाली एक व्यक्ति, एक दलीय प्रणाली में परिवर्तित हो गई और वह थी पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी। परिणामस्वरूप, रूस के राजनैतिक परिदृश्य की आलोचना होना स्वाभाविक था।

यह एक अत्यंत कठोर राजनितिक प्रणाली थी, जिस में विपक्षी दलों को राजनीति में बहुत कम स्थान दिया गया था। नये राजनैतिक दलों का पंजीकरण बंद कर दिया गया और प्रतिबंध का कोई कारण भी नहीं बताया जाता था । यह एक रहस्यमय राजनैतिक योजना व गलत नीयत के तहत किया गया था ।

1. प्रशासनिक प्रणालीः

- **विधायिका**

रूस की संसद को संघीय सभा कहा जाता है। इसके पास सभी विधायी शक्तियाँ होती हैं। इसमें दो सदन हैं–स्टेट ड्यूमा और फैडरल कौंसिल (State Duma and Federal Council)। संघीय सभा एक स्थायी निकाय है। इसके सत्र सदा चलते रहते हैं। केवल बसंत तथा शरद ऋतु में ही यह काम नहीं करती है।

संघीय कानूनों का निर्माण करना, संधियाँ करना, वित्तीय धनराशि का आवंटन करना, तथा युद्ध की घोषणा करना इसके प्रमुख कार्य हैं।

स्टेट ड्यूमा निम्न सदन है। यह रूस की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यह संघीय सभा का राष्ट्रीय, लोकप्रिय, लोकतांत्रिक, तथा प्रत्यक्ष मत से चुना गया सदन है। इसमें व्यापक विधायी व वित्तीय शक्तियाँ निहित हैं। यह संघीय सभा

---

[5] क्राई रूस का एक संघीय विषय है। प्रत्येक क्राई का एक राज्य सरकार, जिसका एक भौगोलिक श्रेत्र होता है। इसकी विधान सभा होती है, जिसे लोकतां

[6] रूस में संघटक गणराज्यों का प्रशासनिक विभाग

[7] ओक्रुग रूस, बुल्गारिया, और सौंबिरेया तथा कुछ अन्य स्लाव देशों में एक प्रशासनिक विभाग को कहते हैं। इसका अनुवाद भिन्न जगहों पर जिला, क्षेत्र, या प्रदेश किया जाता है। पारंपरिक रूप से रूस में अक्सर ओक्रुग किसी एक समुदाय का निवास क्षेत्र होता था।

के असहमतियों को निरस्त कर सकता हैं। इसमें 450 सदस्य होते हैं, जो रूस की जनता द्वारा सीधी मतदान प्रणाली से चुने जाते हैं। इनमें से 225 सदस्य एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, तथा अन्य 225 समानुपालिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनकर आते हैं।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष, एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र, एकल मतदाता, एकल मत प्रणाली, गुप्त मतदान, व सरल बहुमत पर जीत व्यवस्था रूस के चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ हैं। 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति चुनावों में प्रत्याशी बन सकता है और उसे स्टेट ड्यूमा का सदस्य चुना जा सकता है। वित्तीय मामलों, जैसे कर लगाना या हटाना या उनमें संशोधन करना, भुगतान, बजट, तथा अन्य वित्तीय मामलों को स्टेट ड्यूमा में रखा जा सकता है, जब इस ओर तदनुरूप प्रस्ताव रूसी सरकार के द्वारा स्टेट ड्यूमा में रखा जाता है। सारे विधेयक स्टेट ड्यूमा के बहुमत से पारित किये जाते हैं।

स्टेट ड्यूमा (State Duma) के बहुमत से पारित किये सभी विधेयक संघीय सभा के पास विचार के लिए पारित 5 दिन के भीतर भेजे जाते हैं। संघीय सभा 14 दिन के अंदर इन पर विचार करती है। इसके सदस्यों द्वारा बहुमत से स्वीकार कर लिए जाने के बाद बिल कानून बन जाते हैं। यदि संघीय सभा संघीय कानून पर विचार नहीं कर पाती है और 14 दिन समाप्त हो जाते हैं, ऐसे समय विधेयक को पारित समझा जाता है और 5 दिनों के पारित होने के भीतर इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजा जाता है। राष्ट्रपति की सहमति से यह कानून बन जाता है।

संघीय सभा (Federation Council) या ऊपरी सदन संघीय राज्यों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी अध्यक्षता स्पीकर/चैयरमेन करते हैं। क्षेत्रीय निकाय संघीय सभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जब तक क्षेत्रीय निकायों के सदस्य पदों पर आसीन रहते हैं, तब तक संघीय सभा के सदस्य स्वयं के पदों पर बने रहते हैं।

संघीय सभा संघटक संस्थाओं के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। संघीय सभा रूस की सीमाओं के बाहर सशस्त्र सेनाओं की तैनाती कर सकती है। राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग लगा सकती है। संवैधानिक न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्य मध्यस्थता न्यायालय, तथा अन्य न्यायालयों के न्यायधीशों की नियुक्ति करती है।

- **कार्यपालिका**

कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री में विभक्त हैं। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है (अनुच्छेद 80, भाग 1)। राष्ट्रपति का चुनाव रूस के नागरिकों द्वारा सार्वभौमिक, समान, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है (अनुच्छेद 81) । राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है (अनुच्छेद 81, भाग 1)। उन का कार्यकाल दो बार से अधिक का नहीं होता है (अनुच्छेद 81, भाग 2)।

राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का कमांडर–इन– चीफ होता है। संविधान, मानवाधिकार, सिविल अधिकार, व अन्य स्वतंत्रताओं का संरक्षण करना भी इनका उत्तरदायित्व होता है। प्रशासन के स्वरूप का गठन करना, सरकार के प्रमुखों की नियुक्तियाँ करना, सशस्त्र सेना के सुप्रीम कमांडरों की नियुक्ति करना, सरकार की बैठकों की अध्यक्षता करना आदि इनके कार्यों में आते हैं।

प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। स्टेट ड्यूमा की सहमति से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री, संविधान व राष्ट्रपति द्वारा पारित कानूनों तथा अन्य कानूनों के आधार पर सरकार चलाते हैं। आर्थिक तथा वित्तीय नीतियों को लागू करना, संघीय सम्पत्ति के प्रबंध को देखना, सामाजिक नीति, श्रम नीति, पुनर्वास, तथा परिवार नीतियों आदि का नियमन करना प्रधानमंत्री का दायित्व है।

संविधान के अनुच्छेद 92 के अनुसार जब (किसी कारण से राष्ट्रपति अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं कर पाते, तब प्रधानमंत्री कार्यकारी राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। कैबिनेट का गठन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। कैबिनेट का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट में उपप्रधानमंत्री के अतिरिक्त अन्य संघीय मंत्री होते हैं।

कैबिनेट राज्य का बजट तैयार करती है तथा उसे स्टेट डयूमा के पटल पर प्रस्तुत करती है। बजट लागू करना, वित्तीय, ऋण, तथा मुद्रा संबंधी नीतियों को लागू करना, तथा देश की सुरक्षा तथा रक्षा करना इसके दायित्वों में आते हैं।

- **न्यायपालिका**

न्यायालय संविधान के अनुसार न्यायिक शक्तियों का उपयोग करते हैं। न्यायालयों में दीवानी, प्रशासनिक, आपराधिक, तथा संविधान संबंधी सुनवाइयाँ होतीं हैं।

रूस में तीन प्रकार की न्याय प्रणालियाँ हैं:

क) **सामान्य न्याय प्रणाली (सैन्य न्यायालय सहित)**

मुन्सिपल न्यायालय सबसे निचले स्तर के न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च स्तर के न्यायालय है, जिसमें 23 न्यायाधीश होते हैं।

ख) **मध्यस्थता न्याय प्रणाली**

आर्थिक विवादों के निपटारे के लिए ये विशिष्ट न्यायालय होते हैं। उच्च मध्यस्थता न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक निकाय मानी जाती है, जिसमें एक सभापति होता है तथा 4 उप सभापति होते हैं।

ग) **संवैधानिक न्यायालय (संघीय निकायों सहित)**

यह न्यायालय संवैधानिक वैधता सम्बंधी मामलों की सुनवाई करते हैं। इनमें 19 न्यायाधीश होते हैं।

ऊपर बताये गये सभी प्रकार के न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाने के बाद संघीय सभा करती है। संघीय जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्थानीय तथा नगरीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ न्याय मंत्री करता है।

रूसी संविधान के अनुच्छेद 119 के अनुसार, न्यायाधीश चुने जाने के लिए योग्यता इस प्रकार है:

1. रूसी संघ का नागरिक हो।
2. आयु 25 वर्ष या अधिक हो।
3. कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त हो।
4. न्यायिक व्यवसाय में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखता हो।

अब हम आस्ट्रेलिया की राजनैतिक तथा प्रशासनिक प्रणाली का विवरण करेंगे।

7.5 आस्ट्रेलिया की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियाँ

आस्ट्रेलिया का गठन 1901 में हुआ था। आज यह विकसित विश्व की तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं तथा 2 प्रदेश हैं (आस्ट्रेलिया केपिटल टेरटरी तथा नॉदर्न टेरटरी–Australia Capital Territory and Northern Territory)। संघीय सरकार का मुख्यालय आस्ट्रेलिया की राजधानी केनबरा में स्थित है।

1. राजनैतिक प्रणाली

आस्ट्रेलिया का शासन संवैधानिक राजशाही द्वारा चलाया जाता है। यहाँ संसदीय लोकतंत्र है। विल्टशायर (Wiltshire, 2006) के अनुसार, आस्ट्रेलिया की शासन प्रणाली वैस्टमिंस्टर की सरकार तथा अमेरिका के संघीय प्रशासन का मिला–जुला स्वरूप है। यहाँ 3 वर्ष के लिए आम चुनाव किये जाते हैं तथा प्रधानमंत्री चुनाव की तिथि तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री गवर्नर जनरल को प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सलाह देते हैं तथा नये चुनावों की घोषणा करते हैं। प्रतिनिधि सभा भंग होते ही अथवा उसका कार्यकाल पूरा होते ही कोई कानून पास नहीं किया जा सकता है।

परिणामस्वरूप, चुनाव तक कार्यकारी सरकार हरकत में आ जाती है। 1922 के बाद से आस्ट्रेलिया में 2 प्रमुख राजनैतिक दलों का राजनीति वर्चस्व है। एक ओर आस्ट्रेलियन लेबर पार्टी तथा दूसरी ओर लिबरल पार्टी ऑफ आस्ट्रेलिया तथा 'द नेशनल्स' के गठबंधन से बना राजनैतिक मंच। आस्ट्रेलियन लेबर पार्टी एक मजबूत व स्थायी राजनैतिक दल हैं, जबकि राजनैतिक गठबंधन में बदलाव आते रहे।

आस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर अनिवार्य मतदान का चलन है। चुनावों का संचालन चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग जनमत संग्रह करवाता है, मतदान सूचियाँ तैयार करवाता है, तथा चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करता है।

2. प्रशासनिक प्रणाली

1. विधायिका

प्रशासनिक प्रणाली की विधायी शाखा कॉमनवैल्थ पार्लियामेंट (Commonwealth Parliament) पर आधारित होती है। इसके तीन भाग होते हैं–रानी, सीनेट, तथा प्रतिनिधि सभा (The Queen, the Senate and the House of Representatives)। संसद के चार विभाग हैं–सीनेट विभाग, प्रतिनिधि सभा विभाग, संसदीय सेवाओं का विभाग, तथा संसदीय बजट ऑफिस। संसद के प्रमुख कार्य हैं–कानून बनाना, सरकार का वित्तीय पक्ष देखना, लोकप्रिय प्रतिनिधित्व प्रदान करना, तथा सरकार के काम–काज पर नज़र रखना।

सीनेट को 'राज्यों की सभा' भी कहा जाता है। यह राज्यों का जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व करती है। सीनेट के सदस्यों में से ही इसका अध्यक्ष चुना गया। इसके सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं तथा क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यों से आये सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, तथा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है।

सीनेट सरकार के काम–काज की निरन्तर रूप से समीक्षा करती है तथा मंत्रियों और लोक सेवकों द्वारा लागू किये गए कानूनों व नीतियों की अनुवीक्षा (छान–बीन) करती है। यह सरकारी विधेयकों को अस्वीकार करने या उनमें संशोधन करने का अधिकार रखती है। धन–विधेयक के अतिरिक्त किसी भी

विधेयक की पहल करने का अधिकार रखती है, यदि विधेयक किसी सीनेट के अध्यक्षता में लाया गया हो या प्रतिनिधि सभा सत्र में न हो।

प्रतिनिधि सभा को 'लोकसभा' या सरकार की सभा भी कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। प्रतिनिधि सभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है तथा विधेयक तैयार करने, सरकार के प्रशासनिक कार्यों तथा खर्चों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। जिस राजनैतिक दल या उनके गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, वही शासन करने वाले दल बनता है, और उसके नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है।

2. कार्यपालिका

यद्यपि कॉमनवैल्थ की कार्यकारी शक्तियाँ रानी में निहित होती है, परन्तु इनका उपयोग रानी (The Queen) का प्रतिनिधि या गवर्नर जनरल करते हैं। रानी प्रधानमंत्री की सलाह से गवर्नर जनरल की नियुक्ति करती है। क्योंकि गवर्नर जनरल रानी की प्रसन्नता पर नियुक्त होते हैं, अतः उसका कोई निर्धारित कार्यकाल नहीं होता है। यह अपेक्षा की जाती है वे 5 वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे और ततपश्चात उनकी सेवाओं की अवधि फिर से बढ़ाई जा सकती है।

गवर्नर जनरल को संवैधानिक, वैधानिक, तथा आरक्षित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वे अपनी शक्तियों का उपयोग संघीय कार्यकारी परिषद की सलाह पर करते हैं तथा कार्यकारी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। वह नये चुनावों के बारे में याचिकाएँ जारी करते हैं, दोनों सदनों में पारित कानूनों को मान्यता प्रदान करते हैं, तथा प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।

आरक्षित शक्तियाँ के अंतर्गत त्रिशंकु संसद होने पर वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा सदन का विश्वास खो देने पर या कानून विरोधी काम करने पर प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा संसद को भंग करने की सलाह मानने से इनकार कर सकते है।

आस्ट्रेलिया के संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, गवर्नर जनरल आस्ट्रेलिया की सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इन चीफ (प्रमुख सेनापति) होते हैं। इस अधिकार से वह सैन्य प्रमुख की नियुक्ति करते हैं तथा जलसेना, वायुसेना, और थल सेना के अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। यद्यपि इस अधिकार का प्रयोग करते समय वह परम्परानुसार रक्षामंत्री की सलाह लेते हैं।

3. न्यायपालिका

न्यायपालिका की शक्तियाँ संघीय सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं। उच्च न्यायालय का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल करते हैं। वह 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। उच्च न्यायलय शीर्ष न्यायालय होता है, जिसे विधि संहिता में हस्तक्षेप करने तथा उसे लागू करने, संवैधानिक वैधता से जुड़े मामलों का निपटारा करने, संसद में कानून–निर्माण संबंधी विवादों का समाधान करने, तथा संघीय न्यायालयों, राज्य, तथा स्थानीय न्यायालयों की पुनर्विचार याचिका सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। सभी मामलों में उच्च न्यायालय के फैसले निर्णायक व अंतिम माने जाते हैं।

गतिविधि

आपने चारों देशों के राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन किया है। अब आप इन देशों की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।

7.6 सारांश

इस इकाई में चार विकसित देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, तथा आस्ट्रेलिया की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियों पर विचार किया गया।

7.7 संदर्भ

12th June Russia Day. RIBTTES. Available at: https://www.ribttes.com/news/12th-june-russia-day-independence-day-in-russia/

A special role in Parliament. Available at: https://www.senat.fr/lng/en/the_senates_role/a_special_role_in_parliament.html

About Parliament. Available at: http://www.aph.gov.au/About_Parliament

About the House of Representatives. Available at: http://www.aph.gov.au/About_Parliament/House_of_Representatives/About_the_House_of_ Representatives

About the Judicial Branch. Available at: https://www.usa.gov/about-the-judicial-branch

About the Senate. Available at: http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/About_the_Senate

Act of Union. Encyclopedia Britannica. Available at: https://www.britannica.com/event/Act-of-Union-Great-Britain-1707

Assemblée Nationale. Available at: http://www.ipu.org/parline- e/reports/2113_B.htm

Australia's Constitution. (2010). Available at: http://www.aph.gov.au/~/media/05%20About%20Parliament/52%20Sen/523%20PPP/2012_ Australian_Constitution.pdf

Basic facts about Russia: Political system Available at: http://russiapedia.rt.com/basic-facts-about-russia/political-system/

Belonuchkin, Grigory. (1996). Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation. Available at: http://www.politika.su/e/fs/sf.html

Berrington, Hugh. (2003). Role of Political Parties. BBC. Available at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/bbc_parliament/2443563.stm

Blackburn, Robert. (2015). Britain's Unwritten Constitution. British Library. Available at: https://www.bl.uk/magna-carta/articles/britains-unwritten-constitution

Central Intelligence Agency. The World Fact Book: Australia. Available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html

Central Intelligence Agency. The World Fact Book: North America: United States. Available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html

Central Intelligence Agency. The World Fact Book: United Kingdom. Available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html

Chapman, Phillip C., and Scaff, Lawrence A. (1976). The Use & Abuse of Politics. Polity, The Journal of the Northeastern Political Science Association, Vol.8, Number 4, US

Court Role and Structure. U.S. Courts. Available at: http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure

Elections. Available at: http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Work_of_the_Parliament/Elections/Elections

Federal Assembly of the Russian Federation. Available at: http://iacis.ru/eng/parliaments/parlamenty_uchastniki/rossiyskaya_federatsiya/

Fixed-term Parliaments Act 2011. Available at: https://services.parliament.uk/bills/2010-12/fixedtermparliaments.html

Flanders, Stephen. (2007). The Origins and Functions of Political Parties. Available at: https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/origins-and-functions- political-parties/

France's Constitution of 1958 with Amendments through 2008. Available at: https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=en

French Ministry of Foreign Affairs. (2007). The French Justice System. Available at: https://franceintheus.org/IMG/pdf/Justice_ag.pdf

Functions of Political Parties. (1995-2017). Available at: http://australianpolitics.com/parties/functions

Gilbert, Dave. (2012). Q&A: Russian Presidential Election Explained. CNN. Available at: http://edition.cnn.com/2012/03/02/world/europe/russia-elec-qa/index.html

Governor-General's Role. Available at: http://www.gg.gov.au/governor-generals-role

Governors-General. Available at: http://www.australia.gov.au/about- australia/australian-story/governors-general

Henry, Nicholas. (1975). Paradigms of Public Administration. Public Administration Review, Source: Public Administration Review, Vol. 35, No. 4 (Jul. - Aug., 1975), pp. 378-386 Published by: Wiley on behalf of the American Society for Public Administration

House of Commons FAQs. Available at: http://www.parliament.uk/about/faqs/house-of-commons-faqs/

House of Commons. Available at: https://www.britannica.com/topic/House-of-Commons-British-government

Infosheet 20 - The Australian System of Government. Available at:http://www.aph.gov.au/About_Parliament/House_of_Representatives/Powers_practice_and procedure/00_-_Infosheets/Infosheet_20_-_The_Australian_system_of_government

Johnson, Bridget. (2017). Political Parties in Russia. Available at: https://www.thoughtco.com/political-parties-in-russia-3555401

Mathiot, André. (1954). France. Columbia Law Review, Community Security vs. Man's Right to Knowledge, Vol. 5,54, Issue 5, Columbia Law Review Association, Inc.

McCarthy, Chris. (2009). What is the difference between the United Kingdom, Great Britain, and England? Available at: https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/what- difference-between-united-kingdom-great-britain-and-england

McEwen, Nicola. (2003). Power within the Executive. BBC. Available at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/bbc_parliament/2561931.stm

Meares, Richard. (2008). FACTBOX: Russian President and Prime Minister: Who Does What? Reuters. Available at: http://www.reuters.com/article/us-russia-

inauguration- president-duties/factbox-russian-president-and-prime-minister-who-does-what- idUSL0718325420080507

National Parliaments: France. (2016). Available at: https://www.loc.gov/law/help/national-parliaments/france.php

No. 10 - The Role of the Senate. Available at: http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Powers_practice_n_procedures/Senate_Bri efs/Brief10

Orange, Peter. The Political System of the United Kingdom. Available at: https://www.expatica.com/uk/about/The-political-system-of-the-United-Kingdom_103179.html

Overview of Australian Political Parties. (1995-2017). [online] Available at: http://australianpolitics.com/parties/overview

Parliament and Government. [online] Available at: http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Work_of_the_Parliament/Forming_and Governing_a_Nation/parl

Parliamentary sovereignty. Available at: http://www.parliament.uk/about/how/role/sovereignty/

Payton, Matt. (2016). What is it Bastille Day and Why is it a National Holiday in France? Independent News. Available at: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/bastille-day-2016-what-is-it-when-france- national-holiday-parade-say-in-french-a7136431.html

Pierre. (2017). What are the Roles and Powers of the French National Assembly?. French Moments. Available at: https://frenchmoments.eu/french-national-assembly/

Political Parties in Britain - A Short Guide. Available at: https://about- britain.com/institutions/political-parties.htm

Political Parties in France. Available at: https://about-france.com/political- parties.htm

Political Parties. Available at: https://www.britannica.com/place/United- States/Political-parties

Politics. (2005). Available at: http://www.abc.net.au/ra/australia/politics/default.htm

Presidential Election Process. Available at: https://www.usa.gov/election

Prime Minister: Roles, Powers, and Restraints. Available at: http://australianpolitics.com/executive/pm/prime-minister-roles-powers-restraints

Rathbone, Mark. (2011). US Vice Presidents. History Today. Available at: http://www.historytoday.com/mark-rathbone/us-Vice Presidents

Rowney, Jo-Anne. (2017). What is American Independence Day 2017 and the Meaning behind 4th of July? Dates, Party Ideas, Food, Fireworks and Events in London. Mirror. Available at: http://www.mirror.co.uk/news/world-news/american-independence-day-2017-what- 10724905

Russian Federation's Constitution of 1993 with Amendments through 2008. Available at: https://www.constituteproject.org/constitution/Russia_2008.pdf

Rutgers Mark R. (2000) Public Administration and the Separation of Powers in a Cross-Atlantic Perspective, Administrative Theory & Praxis

Samuel, Henry. (2017). How does the French Political System Work and What are the Main Parties? The Telegraph. Available at: http://www.telegraph.co.uk/news/0/does- french-political-system-work-main-parties/

Sénat. Available at: http://www.ipu.org/parline-e/reports/2114_B.htm

The Cabinet. Available at: https://www.whitehouse.gov/administration/cabinet

The Constitution and Government Structure. Available at: http://countrystudies.us/russia/69.htm

The Constitution of the United States. Available at: https://www.usconstitution.net/const.pdf

The Council of the Federationof the Federal Assembly of the Russian Federation. Available at: http://www.council.gov.ru/en/about/

The French Political System. Available at: https://about-france.com/political-system.htm

The Judiciary. Available at: http://countrystudies.us/russia/71.htm

The Layout of the French Legal System. (2015). Available at: http://guides.ll.georgetown.edu/c.php?g=362135&p=2446075

The Parliament. Available at: http://countrystudies.us/russia/70.htm

The Role of Political Parties. Available at: https://uk.usembassy.gov/role- political-parties/

The Role of the High Court in Australian democracy. (2016). Available at: http://www.cefa.org.au/ccf/role-high-court-australian-democracy

The Senate keeps a Check on the Work of Government. Available at: https://www.senat.fr/lng/en/the_senates_role/the_senate_keeps_a_check_on_the_work_of_government.html

The Senate Votes the Law - Taking the Initiative. Available at: https://www.senat.fr/lng/en/the_senates_role/the_senate_votes_the_law.html

The Senate's role. Available at: https://www.senat.fr/lng/en/the_senates_role.html

The Three Branches of Government. (2016). Law Wales. Available at: http://law.gov.wales/constitution-government/intro-to-constitution/three-branches-government/?skip=1&lang=en#/constitution-government/intro-to-constitution/three- branches-government/?tab=overview Lang=en

The UK Constitution. (2015). Available at: https://www.parliament.uk/documents/commons-committees/political-and-constitutional- reform/The-UK-Constitution.pdf

The Work of the House of Commons. Available at: http://www.parliament.uk/business/commons/what-the-commons-does/

Tsvetkov, Ivan. (2015). Independence Day: A View from Russia. Russia Direct. Available at: http://www.russia-direct.org/opinion/independence-day-view-russia

Types of Political Systems. Bisk, Villanova University. Available at: https://www.villanovau.com/resources/public-administration/types-of-political- systems/#.WdW7_2iCzIV

United Kingdom Administrative divisions. (2017). Indexmundi. Available at: http://www.indexmundi.com/united_kingdom/administrative_divisions.html

United Kingdom. Norsk senter for Forsknings data. Available at: http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/uk/administrative_divisions.html

Vice President of the United States of America. (2017). Encyclopedia Britannica. Available at: https://www.britannica.com/topic/Vice President-of-the-United-States-of- America

Who can Stand as an MP? Available at: http://www.parliament.uk/about/mps- and-lords/members/electing-mps/candidates/

Willis, Amy. (2017). Bastille Day 2017: What is Bastille Day and Why is it Celebrated? Metro News. Available at: http://metro.co.uk/2017/07/14/bastille-day-2017-what-is- bastille-day-and-why-is-it-celebrated-in-france-6778911/?ito=cbshare

Wiltshire, Kenneth. (2006). Reforming Australian Governance: Old States, No States or New States? In A.J. Brown, J.A. Bellamy, eds., Federalism and Regionalism in Australia. Sydney: ANU Press

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 8 : विकासशील देशों की राजनैतिक तथा प्रशासनिक प्रणालियाँ

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 भारत में राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियाँ

8.3 चीन में राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियाँ

8.4 ब्राजील में राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियाँ

8.5 दक्षिण अफीका में राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियाँ

8.6 सारांश

8.7 संदर्भ

8.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आपः

- भारत में राजनैतिक तथा प्रशासनिक प्रणालियों का वर्णन कर सकेंगे;
- चीन में राजनैतिक तथा प्रशासनिक प्रणालियों की चर्चा कर सकेंगे ;
- ब्राजील में राजनैतिक तथा प्रशासनिक प्रणालियों का विवेचना कर सकेंगे; तथा
- दक्षिण अफ्रीका में राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियों की व्याख्या कर सकेंगे।

8.1 प्रस्तावना

इस इकाई में विकासशील देशों, विशेषकर भारत, चीन, ब्राजील, तथा दक्षिण अफ्रीका के राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियों का वर्णन करने से पहले यह जान लेना महत्वपूर्ण होगा कि इन देशों में राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियों की क्या विशेषताएँ हैं। इससे भी पहले विकासशील देश क्या है, यह जान लेना जरूरी है। विकासशील देश की स्थिति विकसित देश के विपरीत होती हैं। विकासशील देश में प्रति व्यक्ति आय कम होती है, मानवपूँजी का स्तर कम होता है, गरीबी अधिक होती है। कुपोषण, जनसंख्या वृद्धि दर, और कृषि पर निर्भरता अधिक होती है। उद्योगीकरण, नगरीकरण की दर कम होती है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का नगरों की ओर पलायक अधिक होता है, अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व अधिक होता है।

संक्षेप में, यह कह सकते हैं कि विकासशील देशों में निचले स्तर की अर्थव्यवस्था, निचले स्तर का प्रौद्योगिक विकास, तथा निचले दर का जीवन–स्तर होता है। विकासशील देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्न स्तर पर रहता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय कम होती है। मानव विकास दर (Human Development Index–HDI) कम होती है। तीन प्रमुख घटकों को मिलाकर ही मानव विकास दर बनती है– जीवन संभावना, शिक्षा, व प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक संकेतकों तथा सामाजिक संकतकों के बीच संबंधों को समझने में मानव–विकास दर मदद करती है। आमदनी अच्छे शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संसाधन जुटाने में सहयोगी होती है, जिससे बेहतर मानव विकास हो पाता है।

विकासशील देशों में राजनैतिक एवं प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन हम भारत में राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियों की व्याख्या से प्रारंभ करेंगे।

8.2 भारत में राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियाँ

पहले राजनैतिक प्रणालियों की व्याख्या की जायेगी, उसके बाद प्रशासनिक प्रणालियों की।

क. राजनैतिक प्रणाली

भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें संसद सर्वोच्च होती है। जनता द्वारा सीधे मतदान द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि संसद के सदस्य होते हैं तथा बहुमत प्राप्त राजनैतिक दल के सांसद कार्यपालिका का गठन करते हैं। भारत का राष्ट्रपति गणतंत्रीय प्रमुख होता है और भारत की कार्यपालिका सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से करती है।

ख. प्रशासनिक प्रणाली

सरकार के तीन अंग होते हैंः विधायिका, कार्यपालिका, तथा न्यायपालिका। निरीक्षण एवं संतुलन की प्रणाली का अनुसरण करते हुए शक्ति विभाजन किया जाता है।

आइए, पहले हम विधान पालिका का पर प्रकाश डालें।

1. विधान–पालिका

संविधान का भाग V का अध्याय II में व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रीय विधान पालिका का प्रतिनिधित्व संसद करेगी। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति तथा राज्य सभा व लोकसभा को मिलाकर संसद बनती है। इसके अतिरिक्त संसद अथवा राज्य विधान सभाएँ अथवा दोनें अनुसूची I, II तथा संविधान की सातवीं अनुसूची III में दिये गये विषयों पर कानून बना सकती है।

आइए हम प्रारंभ करते हैं लोकसभा से।

- **लोक सभा**

लोक सभा या निम्न सदन के सदस्य विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। इसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, लेकिन इसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले भी भंग कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री लोक सभा में बहुमत साबित न कर पाये तब भी लोक सभा भंग कर दी जाती है। लोक सभा का पीठासीन अधिकारी स्पीकर कहलाता है। लोक सभा कानून पास करती है। भारत के संविधान के अनुसार लोक सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, जिनमें से 530 विभिन्न राज्यों से चुनकर आते हैं तथा 20 सदस्य केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, और दो सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा नामित किये जाते हैं (यदि ऐसे सदस्य लोक सभा में निवार्चित न हो)। लोकसभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा भारतीय नागरिकों द्वारा सीधे मतदान से चुने जाते हैं।

लोक सभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति कोः

1. भारत का नागरिक होना चाहिए,
2. उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए,
3. भारतीय संसद द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार सभी योग्यतायें होनी चाहिए।

लोक सभा भारतीय संविधान की सातवें अनुच्छेद में दी गई केन्द्रीय सूची के अन्तर्गत आने वाले सभी विषयों जैसे–सुरक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, परिवहन,

संचार, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, श्रमिक कल्याण, मूल्य निर्धारण, तथा अन्य सभी विषयों पर कानून बना सकती है। यह एक ऐसा मंच है, जहाँ मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा करके सरकार के कार्यों पर नजर रखी जा सकती है तथा जन अधिकारों की सुरक्षा की जा सकती है। वित्त (Money) बिल पास करने का विशेषाधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। राज्य सभा के साथ मिलकर लोक सभा गैर वित्तीय विधेयकों तथा संवैधानिक संशोधनों व राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग को स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

- **राज्य सभा**

राज्य सभा अथवा संसद का ऊपरी सदन भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान की धारा 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा साहित्य विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किये जाते हैं। शेष 238 सदस्य देश के विभिन्न राज्यों तथा हर संघीय क्षेत्रों में दो सदस्य चुनकर आते हैं। राज्य सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा एकल हस्तांतरीय मत के माध्यम से चुना जाता है। राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव चुनी हुई राज्य विधान सभायें एकल हस्तातंरण प्रणाली द्वारा समानुपालिक प्रतिनिधित्व से करती है। संविधान की धारा 84 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति राज्य सभा के लिए चुना जा सकता है, जो (i) भारत का नागरिक हो, (ii) 30 वर्ष से कम आयु का न हो, तथा (iii) संसद द्वारा इस संबंध में निर्मित कानून के अनुसार अन्य सभी योग्यताएँ रखता हो।

भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तथा जो पहले सदस्य रह चुका है, उसे फिर से भी चुना जा सकता है। राज्य सभा स्थाई सदन है, जिसे कभी भी पूरी तरह भंग नहीं किया जा सकता है।

राज्य सभा को दो विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं: राज्य संबंधी मामलों को मान्यता प्रदान करना तथा स्वीकृति देना; और राज्य सूची में दिये गये विषयों में से कुछ विषयों/विषय संघीय अथवा समवर्ती सूची के विषयों में शामिल करना या हटाना।

2. कार्यपालिका

संविधान के भाग अ के अध्याय 1 और 2 में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, तथा महालेखाकर की कार्यकारी शक्तियों का विवरण दिया गया है। धारा 52 तथा 78 के अनुसार केन्द्र की कार्यकारी शक्त्यिों का विवरण इस प्रकार है:

- **राष्ट्रपति**

भारत का राष्ट्रपति भारत का तथा देश की कार्यपालिका, विधानपालिका, और न्यायपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति पाँच वर्ष के लिए चुना जाता है। संविधान की धारा 52 में यह व्यवस्था दी गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो देश का प्रथम नागरिक कहलायेगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन के सदस्यों तथा राज्यों की विधान सभाओं, दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से एकल हस्तातंरणीय मतदान प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।

भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी हो सकता है, जो

1. भारत का नागरिक हो,

2. जिसकी आयु कम से कम तीस वर्ष की हो,
3. लोक सभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तथा
4. यदि वह किसी राज्य अथवा संघीय सरकार के अथवा क्षेत्रीय या अन्य अधिकरण के अंर्तगत अपनी सेवायें प्रदान कर रहा हो, तो उसे पहले अपनी वर्तमान सेवा से त्यागपत्र, भारत के उपराष्ट्रपति के नाम से संबोधित करते हुए देना होगा।

भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन की स्थिति में महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अर्थात राष्ट्रपति पद पर यदि कोई व्यक्ति आसीन न हो तो, अगले राष्ट्रपति के चुनाव तक, (छः महीने के अन्दर) भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।

भारत के राष्ट्रपति भारत में विधायिका, कार्यपालिका, तथा न्यायपालिका की सभी शक्तियाँ निहित होती है। कार्यपालिका की शक्तियों के अन्तर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। साथ ही, लोकसभा सत्र को समाप्त करने व प्रतिवर्ष संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करने का अधिकार भी होता है। विज्ञान, कला, साहित्य, तथा समाज सेवा के क्षेत्रों से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित करने तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के दो सदस्यों को लोकसभा के लिए नामित करने के साथ–साथ संसद द्वारा पारित किये गये अध्यादेशों को मान्यता प्रदान करने या न करने का अधिकार होता है। यदि कोई विधेयक धन विधेयक या संविधान संशोधन संबंधी विधेयक की श्रेणी में न आता हो, तो उसे भारत का राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु संसद को लौटा सकता है।

राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रीपरिषद की नियुक्ति करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, तथा महालेखाकार व महानियंत्रक के पदों की नियुक्तियाँ करना शामिल है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है।

- **उपराष्ट्रपति**

उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के पद के बाद, देश का सबसे ऊँचा पद होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। भारत के राष्ट्रपति के पद की रिक्ति की अवस्था में (मृत्यु, पद से हटाये जाने, या त्याग पत्र के कारण) भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के नए राष्ट्रपति के चुनाव तक, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति कोः

1. भारत का नागरिक होना होता है।
2. कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना होता है।
3. राज्य सभा की सदस्यता पाने के लिए जरूरी योग्यता का होना होता है।
4. केंद्र तथा राज्य सरकार अथवा स्थायी या अन्य अधिकरण के अधीन लाभ के पद पर न होना आवश्यक होता है।

- **प्रधानमंत्री**

भारत का प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है। वास्तविक कार्यकारी अधिकार भारत के प्रधानमंत्री ही निहित होते हैं, जबकि, राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है।

संविधान की धारा 74(1) के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, जो राष्ट्रपति की अनुमति से कार्य करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, परंतु उनके कार्य की अवधि को सुनिश्चित कार्यकाल के रूप में नहीं आंका जा सकता है। जब तक लोक सभा में प्रधानमंत्री बहुमत की स्थिति में बने रहते हैं, तब तक राष्ट्रपति की सहमति से वह अपने पद पर बने रह सकते हैं। लोक सभा में अपने दल का बहुमत खो देने पर, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है या भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उनके पद से निष्कासित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री एक तरह से राष्ट्रपति तथा मंत्रीपरिषद के बीच कड़ी का काम करते हैं । वह मंत्रियों के मंत्रायलय सुनिश्चित करते हैं तथा कैबिनेट सचिव के साथ मिलकर विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज के साथ समन्वय बनाये रखते हैं और कैबिनेट की सभाओं का अध्यक्षता करते हैं।

संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर किसी विशिष्ट प्रविधिका का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी संविधान की घारा 75 (1) में यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनैतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति लोकसभा की सहमति से कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाने पर प्रधानमंत्री को लोकसभा में एक महीने के भीतर विश्वासमत प्राप्त करना होता है।

भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रत्याशी में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है।

1. भारत का नागरिक हो,
2. उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो तथा वह लोकसभा अथवा राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो।
3. लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य हो।

मंत्रीपरिषद का संचालन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह से करते हैं। मंत्रीपरिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्त्यिाँ प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रीपरिषद केवल तभी तक कार्य कर सकती है, जब तक राष्ट्रपति चाहे। संविधान की धारा 75(1) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15: से अधिक नहीं होगी।

भारत सरकार की ओर से जनता को अपनी सेवायें देने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नौकरशाह कहा जाता है। भारतीय प्रशासनिक प्रणाली के ये स्थायी कार्यकारी होते हैं।

सचिव, सहसचिव, प्रधान सचिव, तथा अतिरिक्त सचिव केन्द्रीय सचिवालय तथा मंत्रालयों के विभागों की लगाम संभालते हैं। इसके अतिरिक्त, मध्यम स्तर के कर्मचारी तथा उनके नीचे के कर्मचारी भी सरकारी संस्थानों में विभिन्न प्रकार की सेवायें प्रदान करते हैं।

सचिवालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य नौकरशाही द्वारा ही संपन्न किये जाते हैं। नौकरशाह ही राजनैतिक नेताओं को आवश्यक तथा उपयोगी दस्तावेज, विवरण, डेटा, तथा तथ्य प्रदान करते हैं, जिनके आधार पर प्रशासनिक नीतियों का निर्माण होता है। कर्मचारी विभाग द्वारा कर्मचारीयों के लिए नियम बनाये जाते है।

3. न्यायपालिका

संविधान के अध्याय 4 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय तथा इनके अधीन आने वाले निचले स्तर के सभी न्यायालयों को भारत में न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सभी न्यायालयों में प्रमुख हैं और उसका नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे सभी राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालयों की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 की धारा 2014 में की गई है। इस समय पूरे देश में 24 उच्च न्यायालय हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय तथा फैसले व आदेश भारतीय उच्च न्यायालयों पर लागू होते हैं। उच्च न्यायालयों के नीचे विभिन्न स्तरिय अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे–जिला न्यायालय, नागरिक न्यायालय, परिवार न्यायालय, व आपराधिक न्यायालय। भारत की न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैः भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना तथा भारतीय संविधान के अभिभावक के दायित्वों का निर्वहन करना।

भारत की न्यायपालिका सरकारी सलाह देने, कानूनों की व्याख्या करने, संवैधानिक वैधता से जुड़ी समस्याओं के हल तलाशने, तथा कानून तोड़ने वालों के लिए सजा तय करने का काम करती है।

भारत के सम्बन्ध में वर्णन करने के पश्चात्ए आइए हम अब चीन की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणाली पर विचार करें।

8.3 चीन की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियाँ

पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (People's Republic of China) की स्थापना 1 अक्टूबर, 1949 को की गई थी। चीन की बड़ी आबादी और बड़े भूभाग को ध्यान में रखते हुए चीन की प्रशासनिक प्रणाली 5 स्तरों पर कार्य करती है।

1. प्रांतीय (33 प्रांत, स्वायत्तशासी क्षेत्र, नगरपालिका, तथा विशिष्ट प्रशासनिक क्षेत्र)
2. क्षेत्रीय (Prefecture)
3. जिला (County)
4. समुदाय (Township)
5. गाँव (Village)

चाइना रिपब्लिक का प्रशासनिक तंत्र चार शाखाओं में विभाजित हैं–विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तथा सेना।

क. राजनैतिक प्रणाली

चीन की राजनैतिक प्रणाली साम्यवादी–समाजवादी राज्य के ढाँचे की है। चीन के साम्यवादी दल का गठन 1921 में किया गया था। इसी दल ने 1949

में 'पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' का गठन किया। तब से यह राजनैतिक दल अकेला ही चीन पर शासन कर रहा है। यही चीन की जनता का नेतृत्व करता है तथा विधायिका व कानून व्यवस्था से जुड़ी कार्यों को पूरा करता है। यही चीन की सेना का नेतृत्व करता है। चीन की राजनैतिक प्रणाली चीन के साम्यवादी दल के नेतृत्व में बहुदलीय सहयोग तथा राजनैतिक विमर्श के आधार पर काम करती है। बहुदलीय सहयोग का उद्देश्य आठ अन्य राजनैतिक दलों के नेतृत्व व सहयोग से है, जो राष्ट्र की समाजवादी संरचना को बनाये रखते हैं।

बहुदलीय सहयोग प्रणाली के अनेक लाभ है, जैसे–यह प्रणाली लोकतांत्रिक राजनैतिक दलों की राजनैतिक भागीदारी का संस्थागत माध्यम बन जाती है और विभिन्न सामाजिक ताकतों को राजनैतिक प्रणाली में शामिल करती है। लोगों में लोकतांत्रिक गतिविधियों की आधारशिला को मजबूती तथा व्यापकता प्रदान करती है तथा सभी सामाजिक क्षेत्रों की विविध रूचियों, आकांक्षाओं, तथा आवश्यकताओं को समझाने व पूरा करने में सहयोग करती है। इससे यह प्रणाली सामाजिक अखंडणता व राजनैतिक स्थायित्व प्रदान करती है।

इस प्रकार चीन की राजनैतिक प्रणाली एक सामाजिक राजनैतिक दलीय प्रणाली का प्रदर्शन करती है।

ख. प्रशासनिक प्रणाली

1. विधायिका

'द नेशनल पीपल्स कांग्रेस' (एन पी सी) चीन की अत्यधिक शक्तिशाली प्रशासनिक शाखा है। एन पी सी के 3000 सदस्य होते हैं, जो वर्ष में एक बाद मिलते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। एनपीसी को सभी प्रकार के कानूनों के दस्तावेज तैयार करने, उन्हें मान्यता प्रदान करने, संविधान में संशोधन करने, कानून बनाने, संविधान तथा अन्य कानूनों के प्रवर्तन का पर्यवेक्षण करने, तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करने आदि का जनादेश प्राप्त है।

एन पी सी की छः स्थायी समितियाँ होती हैं, जिनका गठन अल्पसंख्यकों, कानूनविदों, वित्तीय विशेषज्ञों, विदेशी मामलों, दुनिया भर में रहने वाले चीनी मूल के निवासी, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा स्वास्थ्य आदि घटकों को केंद्र में रखकर किया जाता है।

जब एन पी सी का सत्र नहीं चल रहा होता है, तब एक स्थायी समिति इसके कार्यों का सम्पादन करती है। 1987 में स्थायी समितियों को एन पी सी के अंतर्गत वास्तविक रूप से प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इनकी शक्तियों में वृद्धि की गई थी। जैसे एनपीसी के सत्र की अध्यक्षता करना, उसकी कार्यसूची तैयार करना, कानून निर्माण की प्रक्रिया निर्धारित करना, अधिकारियों को मनोनीत करना, उन्हें पद से हटाना, यहाँ तक कि एनपीसी का सत्र न चल रहा हो, तो युद्ध की घोषणा करना।

स्थायी समिति के प्रमुख दायित्वों में से एन पी सी का चुनाव करवाना, संविधान तथा कानूनों में हस्तक्षेप करना, कार्यपालिका के काम का पर्यवेक्षण करना, सेना–आयोग का गठन करना, न्यायपालिका से संबन्धित दायित्व आदि शामिल हैं। 'द चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉफ्रेंस' (The Chinese People's Political Consultative Conference–CPPCC) चीन के गणतंत्र का राजनैतिक सलाहकार संस्थान है तथा चीन की साम्यवादी पार्टी के यूनाइटेड फ्रंट सिस्टम का केंद्रीय अंग है।

इस संस्था में पारंपरिक रूप से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी (Chinese Communist Party–CCP) के प्रतिनिधि मंडल, इससे संबंधित मुख्य संगठन, सीसीपी के अधीनस्थ आठ वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, तथा नाममात्र के स्वतंत्र सदस्य शामिल होते हैं। सी सी पी के पोलित ब्यूरो स्थायी समिति का एक सदस्य सी पी पी सी सी की अध्यक्षता करता है।

सी पी पी सी सी की राष्ट्रीय समिति की वार्षिक बैठक उसी समय होती है, जब एनपीसी का सत्र चल रहा होता है। सी पी पी सी सी के संगठनात्मक पदानुक्रम में राष्ट्रीय समिति तथा क्षेत्रीय समितियाँ शामिल होती हैं। चीनी गणराज्य में सी पी पी सी सी व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। विद्वान पीटर मेट्टी (Peter Matty) (Sinologist[1]) के अनुसार, "यह एक ऐसा मंच है, जहाँ दल के बाहर तथा अंदर के सभी प्रासंगिक घटक एक साथ एकत्रित होते हैं, जिनमें राजनैतिक दलों के अनुभवी व्यक्ति, खुफिया अधिकारी, राजनायिक, प्रचारक, सैनिक, राजनैतिक कमिसार (Commissars)[2], पार्टी के प्रमुख कार्य कर्त्ता, शिक्षाविद, तथा उद्यमी शामिल होते हैं। व्यावहारिक रूप से सीपीपीसीसी एक ऐसा मंच है, जहाँ संदेशों का जन्म होता हैं तथा राजनैतिक दलों के सदस्यों और गैर राजनैतिक दलों के सदस्यों तक पहुँचते हैं, जो सी सी पी तथा चीन के दृष्टिकोण को एक स्वरूप प्रदान करते हैं।

2. कार्यपालिका

राज्य परिषद चीन के गणतंत्र की उच्चतम कार्यपालिका है। चीन के संविधान में यह उल्लेख है कि राज्य परिषद यह देखें की एन पी सी द्वारा पारित कानून का कार्यान्वयन पूरी तरह से हो रहा है ।

परिषद की अध्यक्षता प्रीमियर करता है तथा वाइस प्रीमियर, मंत्रीगण, तथा विभिन्न आयोगों के सभापति प्रीमियर का सहयोग करते हैं। राज्य परिषद की बैठक, सत्र के दौरान, महीने में एक बार होती है। राज्य परिषद के कार्य प्रशासनात्मक व्यवस्थाओं तथा नियमों को संविधान के अनुसार लागू करना, अपने कार्यों को एन पी सी तथा इसकी स्थायी समिति के सामने रखना, मंत्रियों के काम–काज पर नजर रखना, ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास की व्यवस्था को देखना आदि है। राज्य परिषद अपने कार्यों के लिए एनपीसी अथवा स्थायी समिति (जब एन पी सी का सत्र नहीं चल रहा हो) के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी है।

चीनी गणतंत्र के राष्ट्रपति में भी कार्यकारी शक्ति निहित है। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र के प्रमुख होते है (चीन के संविधान 1982 के अनुसार)। राष्ट्रपति का कार्यकाल एपीसी के कार्यकाल के जैसे ही होता है और राष्ट्रपति लगातार दो बार अपने पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति के कार्यों में विधियों को प्रख्यापित करना, प्रीमियर, वाइस प्रीमियर, राज्य परिषद के सदस्य, मंत्रियों, राज्य परिषद के महालेखाकार, तथा महासचिव की नियुक्ति करना; राष्ट्रीय महत्व के पदक एवं सम्मान प्रदान करना, क्षमा करने के आदेश जारी करना, युद्ध की घोषणा करना आदि शामिल है।

उपराष्ट्रपति भी कार्यपालिका के अंग होते है, वे राष्ट्रपति का सहयोगी होते हैं, तथा जब राष्ट्रपति अपने पद पर मौजूद न हो अथवा राष्ट्रपति का पद रिक्त हो

---

[1] चीनी अध्ययन, जो चीनी भाषा, साहित्य, दर्शन, संस्कृति व इतिहास का अध्ययन है।

[2] कम्युनिस्ट पार्टी के अफसर, जो सैना की इकाई को पार्टी सिद्धान्त सिखाते हैं।

गया हो, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी दायित्वों को संभालते हैं। राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एम पी सी के कार्यकाल के जैसे ही होता है और उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर अधिक से अधिक दो कार्यकालों तक बने रह सकते हैं।

3. न्यायपालिका

चीन में दो न्यायालय सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उनमें सर्वोच्च न्यायिक शक्तियाँ निहित होती हैं। ये हैं–'सुप्रीम पीपल्स कोर्ट' तथा 'सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटर (मजिस्ट्रेट) (Supreme People's Procurator etc.)। सुप्रीम पीपल्स कोर्ट चीन का सर्वोच्च न्यायालय है, अन्य सभी न्यायालय उसके अधीन कार्य करते हैं। इस न्यायालय में दीवानी, आपराधिक, तथा प्रशासनिक मामले सुने जाते हैं, तथा अपीलें भी सुनी जाती हैं। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं, जिनका कार्यकाल एन पी सी के कार्यकाल के अनुरूप ही होता है।

संविधान की धारा 129 तथा पीपल्स प्रोक्यूरेटर के ऑर्गेनिक लॉ (Organic Law) की धारा 1 में यह अनुबंध है कि पीपल्स प्रोक्यूरेटर राज्य के ऐसे अंग हैं, जिनका दायित्व कानूनी पर्यवेक्षण का है। प्रोक्यूरेटर अंग अपने कार्यों तथा शक्तियों का प्रयोग पूरी स्वतंत्रता से करते हैं, कानून के अनुसार करते हैं तथा उनके कार्यों में दखल देने का अधिकार किसी को भी नहीं है।

धारा 131 स्पष्ट व्यवस्था करती है कि पीपल्स प्रोक्यूरेटर अपनी शक्तियों का कानूनी दायरे में स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करेंगे तथा कोई भी प्रशासनिक संस्थान या सार्वजनिक संस्थान या निजी संस्थान उनके कार्यों में दखल नहीं देगें। सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटर सर्वोच्च न्यायायिक संस्थान है, जो कानूनी पर्यवेक्षण के दायित्व का निवर्हन करती है। प्रोक्यूटर–जनरल (Procurator–General) इस संस्थान का प्रमुख होता है, जिसका कार्यकाल एनपीसी के कार्यकाल के अनुरूप है।

4. सेना

राज्य केंद्रीय सेना आयोग सैन्य बलों का नियंत्रण करता है। चीन की सैन्य बलों के संस्थान है– पीपल्स लिबरेशन आर्मी, लिबरेशन आर्मी मिलिशिया, तथा पीपल्स आर्म्ड पुलिस। स्टेट सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख होता है, जिसका चुनाव एनपीसी करती है। इस आयोग में 11 सदस्य होते हैं, जो सशस्त्र सेनाओं के विभिन्न कार्यों के लिए उतरदायी होते हैं।

चीन के सम्बन्ध में वर्णन करने के पश्चात्ए आइए हम अब ब्राजील की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणाली पर विचार करें।

8.4 ब्राजील की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियाँ

पुर्तगाली शासन से मुक्त होकर ब्राजील 1922 में प्रभुता संपन्न देश बना था। ब्राजील में 26 राज्य हैं, एक संघीय जिला, तथा 5581 नगरपालिकाएँ हैं। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया संघीय गणराज्य सरकार की केंद्र बिंदु है।

क. राजनैतिक प्रणाली

संघीय गणराज्य ब्राजील अध्यक्षीय गणतंत्र है। हर दो वर्ष बाद चुनाव होते हैं, जो अक्टूबर के पहले रविवार या अंतिम रविवार को कराये जाते हैं।

संविधान की 77वीं धारा के अनुसार गणतंत्र के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव का पहला दौर पहले रविवार को संपन्न किया जाता है और यदि दूसरे

दौर की आवश्यकता पड़ जाय, तो उसे अंतिम रविवार का पूरा किया जाता है। बहुमत आधारित चुनाव प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, जिसके अनुसार बहुमत प्राप्त प्रत्याशी को विजेता घोषित किया जाता है। ब्राजील का 'सुपीरियर इलैक्टोरल कोर्ट' (Superior Electoral Court) ब्राजील को गणतंत्र का स्वरूप प्रदान करता है।

ख. प्रशासनिक प्रणाली

1. विधान पालिका

ब्राजील में विधान पालिका का प्रतिनिधित्व 'फैडरल सीनेट' तथा 'चैम्बर ऑफ डिपुटीज' (Federal Senate and Chamber of Deputies) को मिलाकर बनी नेशनल कांग्रेस करती है। ब्राजील संविधान के अनुसार विधान पालिका का कार्यकाल 4 वर्षीय होता है।

नेशनल कांग्रेस को कर प्रणाली और आय–वितरण का संचालन करने, वार्षिक बजट तैयार करने, वर्षीय योजनाएँ तैयार करने, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, व विभागीय विकास योजनाएँ व कार्यक्रम बनाने; और साथ ही, सशस्त्र सेना में सैनिकों की संख्या का निर्धारण करने का दायित्व होता है। इसे कुछ विशेष शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जैसे राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करने की अनुमति प्रदान करना, विदेशी सेनाओं को देश में से पारगमन करने देना, तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, समझौते, और अधिनियमों की पुष्टि करना।

ब्राजील की जनता हर 4 वर्ष बाद प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मतदान प्रणाली द्वारा अपने जन–प्रतिनिधियों का चुनाव करके चैम्बर ऑफ डिपुटीज में भेजती है। ब्राजील के राष्ट्रपति/स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। चैम्बर के सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष होता है। चैम्बर ऑफ डिपुटीज को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा संघीय सरकार के मंत्रियों के विरूद्ध महाभियोग लगाने का विशेषाधिकार प्राप्त है। यदि राष्ट्रपति ने विधायी सत्र के आरंभ होने के बाद साठ दिन के भीतर अपना खाता विवरण नेशनल कांग्रेस को प्रस्तुत न किया हो, तो उसके खातों को जब्त किया जा सकता है। कॉसिल ऑफ द रिपब्लिक (Council of the Republic) के सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार भी इस को प्राप्त है।

फैडरल सीनेट संघीय इकाइयों का प्रतीक है। सीनेट का सभापति इसकी अध्यक्षता करता है, जिसका कार्यकाल चार वर्षों का होता है। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल आठ वर्षों का होता है, जिन्हें चार वर्ष बाद फिर से चुना जाता है। फैडरल सीनेट को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय सरकार के मंत्रियों, तथा जलसेना, थलसेना, वायुसेना के कमांडरों के विरूद्ध महाअभियोग लाने का विशेषाधिकार प्राप्त है। यह न्यायाधीशों, राष्ट्रपति, तथा सेंट्रल बैंक के निदेशकों का गुप्त मतदान द्वारा की गई नियुक्तियों को मान्यता प्रदान करती है तथा विदेशी तथा वित्तीय मामलों के संचालन के लिये अधिकृत है।

2. कार्यपालिका

संविधान की धारा 76 के अनुसार ब्राजील के राष्ट्रपति को कार्यपालिका के अधिकारों के प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति, राज्य तथा सरकार के मुखिया होते हैं तथा सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति होते हैं। राष्ट्रपति को सीधी मतदान प्रणाली द्वारा चार वर्ष के लिए चुना जाता है। एक बार का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें दुबारा भी चुना जा सकता है।

राष्ट्रपति को संघीय सरकार के मंत्रियों को नियुक्त करने तथा पद से हटाने का अधिकार प्राप्त होता है। सशक्त संघीय प्रशासन सुनिश्चित करना राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व होता है। वे अध्यादेशों को रोकने का अधिकार भी रखते हैं।

संघीय सरकार के मंत्रियों की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे प्रभावी संघीय प्रशासन देंगे और कानूनों का पालन करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये फरमानों तथा नियमों का उन्हें पालन करना होता है और अपने मंत्रालय के कार्यों का विवरण प्रति वर्ष राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है।

ब्राजील में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के साथ ही किया जाता है और उनका कार्यकाल भी चार वर्ष का ही होता है। राष्ट्रपति के पद पर न होने की स्थिति में ब्राजील का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति की शक्तियों तथा अधिकारों का निश्चयन संविधान में दिये गये जनादेश द्वारा सुनिश्चित किया गया है।

3. न्यायपालिका

ब्राजील में दो प्रकार के न्यायालय होते हैं: सामान्य न्यायालय तथा विशिष्ट न्यायालय। सामान्य न्यायालयों में फैडरल सुप्रीम कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस, रीजनल फैडरल कोर्ट होते हैं। विशेष न्यायालयों में श्रमिक न्यायालय, चुनावीय न्यायालय, सैनिक न्यायालय, तथा राज्य, जिला, व क्षेत्रीय न्यायालय होते हैं।

फैडरल सुप्रीम कोर्ट (Federal Supreme Court) देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसमें ग्यारह न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति फैडरल सीनेट के साथ मिलकर राष्ट्रपति करते हैं। इस न्यायालय का यह दायित्व है कि वह संविधान की सुरक्षा करें तथा संविधान संबंधी मामलों पर अंतिम फैसला दें।

सुपीरियर कोर्ट (Superior Court) ऑफ जस्टिस में 33 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इस न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह देखे देश में संघीय कानून व्यवस्था लागू है। सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस के अधीन संघीय न्यायालय होते हैं, जिनमें संघीय न्यायाधीश नियुक्त किये जाते हैं।

रीजनल फैडरल कोर्ट (Regional Federal Court), फैडरल कोर्ट की अपीलीय कोर्ट है। ये ब्राजील के फैडरल न्याय प्रणाली का प्रतिनिधित्व 'सेकंड इंस्टैंस' कोर्ट के रूप में करता है।

श्रमिक न्यायालय मालिकों और श्रमिकों के बीच झगड़ों का निपटारा करते हैं। चुनावी न्यायालयों का यह दायित्व होता है कि चुनाव संबंधी गतिविधियों, नियमों, तथा मताधिकार संबंधी मामलों की सुनवाई करें। 2012 मे चुनावीय दायित्व प्रणाली 'इलैक्टोरल एकाउंटेबिलिटी सिस्टम' (Electoral Accountability System) की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संघीय समितियों, राजनैतिक दलों, तथा प्रत्याशियों को दी गई।

सैनिक न्यायालय सैनिक क्षेत्रों में हुए अपराधों का निपटारा करते हैं। राज्य न्यायालय उन मामलों का निपटारा करते हैं, जो संघीय, श्रमिक, चुनावी, तथा सैनिक न्यायालयों के अंतर्गत नहीं आते।

ब्राजील के संबंध में वर्णन करने के पश्चात्ए आइए हम अब दक्षिण अफ्रीका की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणाली पर विचार करें।

8.5 दक्षिण अफ्रीका की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियाँ

पूर्वकाल में ब्रिटेन का उपनिवेश रहा दक्षिण अफ्रीका 1961 में 'दक्षिण अफ्रीका' गणतंत्र बना। इसमें 9 प्रांत हैं, जहाँ सहकारी सरकार का शासन है। संविधान का अध्याय 3

में सहकारी सरकार का प्रावधान दिया गया है। इसके अनुसार वहाँ राष्ट्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, तथा स्थानीय सरकार, हालाँकि एक दूसरे से भिन्न हैं, इन सरकारों के बीच परस्पर निर्भरता व सहयोग के संबंध हैं। तीन राजधानियाँ हैं, जिन से शासन का प्रबंध किया जाता है–कार्यकारी राजधानी प्रिटोरिया (Pretoria), न्यायिक राजधानी ब्लोमफोन्टेन (Bloemfontein), तथा विधायी राजधानी केप टाउन (Cape Town)।

क. राजनैतिक प्रणाली

दक्षिण अफ्रीका की सरकार को एकात्मक तथा संसदीय संवैधानिक गणतंत्र कहा जाता है। लोकतांत्रिक चुनाव हर 5 वर्ष बाद नई संसद चुनने के लिए किए जाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली से मतदान कराया जाता है।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का चुनाव अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हर 5 वर्ष बाद असेम्बली[3] राष्ट्रपति का चुनाव करती है। राष्ट्रपति स्वयं पर असेम्बली के विश्वास तक अपने पद पर बने रहते है। दक्षिण अफ्रीका में दो चुनाव प्रणालियाँ हैं। सभी चुनाव चुनाव क्षेत्रों के आधार पर होते हैं। हर स्थानीय क्षेत्र के मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशी को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु चुनते हैं। हर चुनाव क्षेत्र प्रत्याशियों में से, जिसे सबसे ज्यादा मत प्राप्त होते हैं, उसे संसद का सदस्य चुन लिया जाता है। संसद सदस्य के रूप में चुन कर आया कोई भी व्यक्ति किसी राजनैतिक दल का सदस्य नहीं होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाले चुनावों में बड़े क्षेत्रों के मतदाता राजनैतिक दलों का चुनाव अपनी पसंद के अनुसार करते हैं। इसके बाद ये राजनैतिक दल अपने संसद सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में जितने मत किसी राजनैतिक दल को मिलते हैं, उसके अनुपात में उसे संसद की सीटें दी जाती हैं।

ख. प्रशासनिक प्रणाली

1. विधायिका

विधायिका के दो सदन होते हैंः राष्ट्रीय विधान सभा तथा राष्ट्रीय राज्य परिषद (नेशनल असेम्बली ऑफ प्राविन्स)। संविधान के अनुसार, संसद को अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए तथा उन्हें लोकतांत्रिक सरकार देनी चाहिए। ऐसा करने के लिए संसद कानून बनाती है, उनकी जाँच करती है, तथा कार्यपालिका के कार्यों पर नजर रखती है। कानून निर्माण प्रक्रिया में जनता की भागीदारी की व्यवस्था करती है। सहयोगी सरकार को बढ़ावा देती है तथा अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में संलग्न होती है।

राष्ट्रीय विधान सभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है तथा जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों को सरकार बनाने का अवसर देती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कानून लागू करने की व्यवस्था करती है तथा कार्यपालिका को इस ओर जवाबदेह बनाती है।

राष्ट्रीय परिषद प्रांतों का प्रतिनिधित्व करती है तथा सरकार के राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रांतों के हितों की रक्षा करती है। इसकी अध्यक्षता प्रांतीय प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सभापति करता है। प्रांतों की राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यह प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों के कानून प्रक्रिया संबंधी दायित्वों का निवर्हन करती है।

[1] नेशनल असेम्बली संसद (विधायी राजधानी केप टाउन) का निचला सदन है।

2. कार्यपालिका

कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जो राज्य के साथ–साथ सरकार के भी मुखिया होते हैं। इन का चुनाव राष्ट्रीय विधानसभा द्वारा 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ तथा उनके कार्य हैं–अध्यादेशों/विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, संतुष्ट न होने पर विधेयकों को राष्ट्रीय नेशनल असेम्बली के पास पुनर्विचार हेतु पुनः भेजना, सरकारी राजनायिकों की नियुक्ति करना (राजदूतों, काउन्सलर, कूटनीतिज्ञ, पूर्णाधिकारी), अपराधियों को क्षमा करना या करने से इनकार करना, विप्रेषण करना आदि।

केबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कैबिनेट के सदस्यों को राष्ट्रपति न केवल शक्तियाँ व कार्य सौंपते हैं, अपितु, उन्हें पद से हटाने का अधिकार भी रखते हैं। राष्ट्रपति कैबिनेट के प्रमुख होते हैं, वह कैबिनेट सदस्यों को नेशनल असेम्बली में सरकार चलाने हेतु नियुक्त करते हैं। कैबिनेट में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, तथा उपमंत्री शामिल होते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करते है। इनको नेशनल असेम्बली के सांसदों में से चुना जाता है। वे नेशनल वर्किंग कमेटी के पदेन सदस्य होते हैं। उनकी भूमिका राष्ट्रपति को सहयोग करने की होती है तथा राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में वे राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इतना ही नहीं वह आवश्यकता होने पर नेशनल कांफ्रेस, जनरल कौंसिल, राष्ट्रपति, नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी, या नेशनल वर्किंग कमेटी द्वारा प्रदत्त दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं।

3. न्यायपालिका

दक्षिण अफ्रीका में संवैधानिक न्यायालयों, अपील के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और मजिस्ट्रेट कोर्ट को न्याय करने के अधिकार प्राप्त हैं। संविधान में दिये निर्देशों के अनुरूप सभी न्यायालय स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं, निष्पक्षता के साथ, भय रहित, पक्ष लिए बना, या पूर्वाग्रह रहित होकर कार्य करते हैं। पूरी न्यायप्रणाली मुख्य न्यायाधीश के अधीन होती है। मुख्य न्यायाधीश को सभी न्यायालयों को न्यायिक दिशा–निर्देश करने तथा उनके कार्यों के स्तर को बनाये रखने के लिए नियमों का पालन करवाने का जनादेश प्राप्त होता है।

संवैधानिक न्यायालय दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च न्यायालय है। इस में मुख्य न्यायाधीश, उप–मुख्य न्यायाधीश, तथा नौ अन्य न्यायाधीश होते हैं। किसी मामले/मुकदमें को न्याय–निर्णय हेतु संवैधानिक न्यायालय के समक्ष लाने के लिए 8 न्यायाधीशों के पैनल से गुजरना पड़ता है। संवैधानिक मामलों पर फैसला करने तथा संवैधानिक मूल्यों को कायम रखने का दायित्व संवैधानिक न्यायालय के पास है। अपील हेतु सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रैसीडेंट, एक डिप्टी प्रैसीडेंट, व अन्य न्यायाधीश होते हैं (उनकी संख्या संसद के अधिनियम द्वारा तय की जाती है)। इस न्यायालय का मुख्य काम गैर संवैधानिक मामलों का निपटारा करना होता है। अधिकतर मामले उच्च न्यायालयों तथा मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही निपटाये जाते हैं।

गतिविधि

आपने चारों देशों के राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन किया है। अब आइए, हम इन देशों की राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करें।

8.6 सारांश

भारत के संविधान में प्रावधान है कि भारत में संघीय व एकात्मक प्रकृति की सरकार होगी। चीन का राजनैतिक प्रशासनिक ढांचा समाजवादी/साम्यवादी राष्ट्र का है तथा एकात्मक राज्य संरचना तथा क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वायत्तता प्रणाली के सिद्धांत पर कार्य करता है।

ब्राजील एक संघीय प्रतिनिधित्व वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ राष्ट्रपति प्रमुख हैं। दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ राष्ट्रपति की प्रमुखता वाली सरकार है।

8.7 संदर्भ

African National Congress. (2017). retrieved from http://www.anc.org.za/officials/Deputy%20President

Brand South Africa. (2015). Government in South Africa. retrieved from https://www.brandsouthafrica.com/governance/government/south-african-government

Brand South Africa. (2017). South Africa: Fast Facts. retrieved from https://www.brandsouthafrica.com/south-africa-fast-facts/south-africa-fast-facts

Brazil Senado Federal (The Federal Senate). (2017). retrieved from http://www.senat.fr/senatsdumonde/english/bresil.html

Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2014 (Translated by Keith S. Rosenn, 2014). Retrieved from https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2014.pdf

Brazil. Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/place/Brazil/The-legislature#ref312850

Brazil The Legislature. retrieved from https://photius.com/countries/brazil/government/brazil_government_the_legislature.html

Central Intelligence Agency. The World Fact Book: Brazil. Retrieved from https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html

Central Intelligence Agency. The World Fact Book: China. Retrieved from https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html

Central Intelligence Agency. The World Fact Book: India. Retrieved from https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html

Central Intelligence Agency. The World Fact Book: South Africa. Retrieved from https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html

Chapman, Phillip C., and Scaff, Lawrence A. (1976). The Use & Abuse Polity. Volume 8, Number 4. The Journal of the Northeastern Political Science Association

China's Political Party System. (2012). Retrieved from http://bs.china- embassy.org

China's State Organizational Structure. Retrieved from https://www.cecc.gov/chinas-state-organizational-structure

Chinese Political System Foundation Part: An Overview of the Political System. Retrieved from http://www.edb.gov.hk/attachment/en/curriculum

Composition of the Court. Retrieved from http://english.tse.jus.br/the-electoral-justice/the-superior-electoral-court/composition-of-the-court

Constitution of India. Retrieved from https://india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi_part_full.pdf

Constitution of the People's Republic of China. (2004). Retrieved from http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/2007

Constitution of the Republic of South Africa. (1996). Retrieved from http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/za/za107en.pdf

Elections. Retrieved from http://english.tse.jus.br/the-brazilian-electoral- system/elections-1

Electoral Accountability System. Retrieved from http://english.tse.jus.br/the-brazilian-electoral-system/accountability.

Henry, Nicholas. (1975). Paradigms of Public Administration. Public Administration Review. Vol. 35. No.4, Blackwell Publishing House on behalf of ASPA. Retrieved from http://www.jstororg/stable/974540

How China is Ruled. BBC. Retrieved from http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/in_depth/china_politics/government/html/7.stm

Kumar, Manoj B. (2015). Development Administration. Kerala: University of Calicut School of Distance Education. Retrieved from http://www.universityofcalicut.info/SDE/Development%20Administration%20dt.%207.1.2015.pdf

M. Laxmikanth. (2013). Indian Polity. New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited

Noi, Goh Sui. (2017). NPC and CPPCC: What to know about China's Annual Parliamentary and Consultative Sessions. Retrieved from http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/what-to-know-about-chinas-annual- parliamentary-and-consultative-sessions

Organs of the Judiciary Power. (2016). BrazilGovNews. Retrieved from http://www.brazilgovnews.gov.br/federal-government/how-the-government- works/federal-judiciary-branch

Our Parliament. Retrieved from http://parliamentofindia.nic.in/ls/intro/p1.htm

Overview of the PRC Political System. (2018). The US-China Business Council. Retrieved from https://www.uschina.org/overview-prc-political-system. 1996-2021 by the US-China Business Council.

Pariona, Amber. (2017). What Type Of Government Does China Have? Retrieved from http://www.worldatlas.com/articles/what-type-of-government-does-china-have.html

Parliament of the Republic of South Africa. ().What Parliament Does. Retrieved from https://www.parliament.gov.za/what-parliament-does

Peng, Wen-shien. (2008). A Critique of Fred W. Riggs' Ecology of Public Administration. International Public Management Review, 9(1): pp. 213-226

Political Parties. (NA).Setor de Administração Federal Sul- (SAFS), Quadra 7, Lotes 1/2,

Brasília. Retrieved from http://english.tse.jus.br/the-brazilian-electoral- system/political-parties-1

Prime Minister of India. (NA).Retrieved from http://www.elections.in/government/prime-minister.html

Rana, Kamal. (2014). Role and Functions of Judiciary in India. Retrieved from https://www.importantindia.com/11837/role-and-functions-of-judiciary-in-india/

Riggs, Fred W. (2006). The Prismatic Model: Conceptualizing Transitional Societies. In Eric E. Otenyo and Nancy S. Lind. (Eds.). (2006). Comparative Public Administration: The Essential Readings, Research in Public Policy Analysis and Management, Vol. 15: Elsevier, Netherlands

Rutgers, Mark R. (2000). Public Administration and the Separation of Powers in a Cross- Atlantic Perspective. Administrative Theory & Praxis, 22(2)

Separation of Powers Doctrine–Roles of the Legislature, Executive and Judiciary. Retrieved from https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwhcmB4prWAhUKLo8KHdJ-

SOUTH AFRICA National Assembly. (2017). Retrieved from http://www.ipu.org/parline-e/reports/2291.htm

South African Government. (2017). Structure and Functions of the South African Government. Retrieved from https://www.gov.za/about-government/government-system/structure-and-functions-South-African-government

The Constitution of India. Retrieved from https://india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi_part_full.pdf

The Election System. Retrieved from http://www.china.org.cn/english/Political/26325.htm

The Federal Senate. Retrieved from http://www2.camara.leg.br/english/the-federal-senate

The Function (Election System). (2014). Retrieved from http://eci.nic.in/eci_main1/the_function.aspx

The Party in Power. Retrieved from http://www.china.org.cn/english/Political/26151.htm

The South African National Council of Provinces. Retrieved from http://www.senat.fr/senatsdumonde/english/afrique.html

TSE. Retrieved from http://english.tse.jus.br/the-electoral-justice/the-electoral-justice-1/the-electoral-justice

Types of Political Systems. Retrieved from https://www.villanovau.com/resources/public-administration/types-of-political- systems/#.WdW7_2iCzIV

United Nations Division for Public Administration and Development Management (DPADM) Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2004). Republic of South Africa: Public Administration Country Profile. Retrieved from http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan023288.pdf

United Nations Division for Public Administration and Development Management (DPADM) Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2004). REPUBLIC OF BRAZIL Public Administration Country Profile. Retrieved from http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan023194.pdf

Wei, Xu. (2013). Difference between NPC and CPPCC. China Daily. Retrieved from http://www.chinadaily.com.cn/china/2013npc/2013-03/07/content_16289643.htm

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖